

THE DAKSHINA BHARAT HINDI
PRACHAR SABHA BILL, 1963—
ntinued.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया (मध्य प्रदेश) : सभापति महोदय, जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा बिल प्रस्तुत हुआ तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से कुछ प्रेरणा ले कर के इस विधेयक की एक प्रतिर्लाप हिन्दी में भी प्रस्तुत करते सदन में तो अन्ध्रा होता और एक नई परम्परा को वे बन्म देते, किन्तु वैसी प्रेरणा उन्होंने ली नहीं।

वैसे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के बारे में जो कदम उन्होंने उठाया वह ठीक है उनकी दृष्टि से। जहां तक इस बिल का सवाल है, किसी महत्व की संस्था को महत्व दिया जाये, इसके लिये दो मत हो नहीं सकते। किन्तु अभी तक हमारे यहां यह हुआ है कि पहले भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करके उसका भी मान बढ़ा दिया गया है और अब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को भी हम मान देने जा रहे हैं और इस मान को देने की वजह से जो एक अप्रत्यक्ष शासकीय बन्धन हम इन संस्थाओं पर डाल देते हैं उससे जो हम हिन्दी की सेवा और अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं उसमें कुछ बन्धन पड़ने की शंका पैदा होती है। कारण यह है कि अभी हिन्दी और अंग्रेजी की लड़ाई पूरी तरह हो नहीं पाई और अभी तक जो लड़ाई हुई है उसमें हिन्दी की हार हुई है और अंग्रेजी की जीत हुई है, इसमें दो मत नहीं।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

हिन्दी का पक्ष लेने के लिये जो हिन्दी के लिये आन्दोलन कर सकें, ऐसी संस्थाएं कुछ यही हैं जो कि हिन्दी के लिये आन्दोलन कर सकती हैं जैसे कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन

और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा। ये सारी की सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अगर शासकीय बन्धन में न पड़तीं और स्वतंत्ररूप से कार्य करतीं तो कुछ आन्दोलनात्मक कार्य भी हिन्दी के लिये कर सकती थीं और हिन्दी की बड़ी सेवा उनके द्वारा हो सकती थी। -

हम यह अच्छे इरादे से कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारी सरकार इसे बुरे इरादे से कर रही है या उसको नुकसान करने की दृष्टि से कर रही है। उनकी सेवायें कितनी हैं, क्या हैं, कल भी इसकी चर्चा की गई और यह सही बात है कि उसके जो कार्यकर्ता श्री सत्यनारायण जी हैं उन्होंने बहुत सेवा की और उनकी वजह से दक्षिण भारत में हिन्दी का काफी प्रचार हुआ और लोगों की काफी दिलचस्पी उसके लिये हुई और अभी भी और काम करने की आवश्यकता है और उसके लिये शासकीय सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। किन्तु यह शासकीय सहायता के बाद यदि हम अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर हिन्दी के लिये आन्दोलन करने पर या हिन्दी की दूसरे रूप में सेवा करने पर बन्धन डाल देते हैं तो जैसा कि अभी हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हुआ कि जब हिन्दी और अंग्रेजी के बारे में यहां विधेयक प्रस्तुत हुआ तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से उसके बारे में आन्दोलनात्मक कार्यवाही की जो अपेक्षा थी कि हिन्दी की जागृति के लिये, हिन्दी के पक्ष के लिये और हिन्दी का समर्थन जगाने के लिए एक जोरदार कार्यवाही वह करेगा, वह वह कर नहीं सका। उसका प्रमुख कारण यह था कि हमने उसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था मान कर के जो शासकीय सहायता उसको दी, शासकीय मदद उसको दी, उसकी वजह से जो एक ठोस सेवा का कार्य उनके जिम्मे था, वह वे नहीं कर सके। मैं यह नहीं कहता कि उस आधार पर हमारी सरकार उनको मदद न दे, मदद जरूर

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरङ्गिया]

दी जाय, मगर मैं यह प्रार्थना करूँगा कि इस दिशा में अगर ये संस्थाएं हिन्दी की सेवा की दृष्टि से आन्दोलनात्मक कार्यवाही भी करना चाहें तो उन पर किसी प्रकार का बन्धन हमारे शासन द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिये। यह अत्यन्त आवश्यक है और अगर यह बन्धन लगता है तो उसमें बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि वैसे ही हमारे शासन का जो रुख चल रहा है, हमारे कुछ बन्धुओं का और दलों का रुख चल रहा है, वह ऐसा चल रहा है कि अंग्रेजी अधिक से अधिक विकसित हो और हिन्दी को अभी कोल्ड-स्टोरेज में डाल दिया जाय और इस तरह से हिन्दी का जितना नुकसान होता जा रहा है वह असंतोष है।

वैसे प्रशंसा की दृष्टि से हमारे कई दक्षिण भारत के वक्ता भी बोले और उन्होंने भी बड़ी प्रशंसा की और सही बात है जो हमने भी सुनी, उससे प्रशंसा ही करते हैं कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने काफी कार्य किया है, मगर हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग से जो यह वैधानिक बन्धन हम उन पर डाल रहे हैं, वह आन्दोलनात्मक कार्यवाही करने में बाधक न बने, इसका भी हम ध्यान रखें, नहीं तो हम जनसाधारण से जो दक्षिण भारत में प्रचार करने वाले हैं उनसे अपेक्षा करेंगे कि अगर इस बन्धन में बंध करके आन्दोलनात्मक कार्यवाही वे न कर सकें तो हिन्दी की रक्षा के लिये, हिन्दी के प्रयत्नों के लिये अगर आन्दोलनात्मक कार्यवाही करनी पड़े तो कोई ऐसी संस्था को जन्म दे जो कि इस काम को आगे बढ़ा सके, यही निवेदन है।

SHRI K. SANTHANAM (Madras): Madam Deputy Chairman, I rise to support this Bill. While he was moving the Bill regarding the Hindi Sahitya Sammelan, the Minister of Education had promised to bring this

Bill about the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. About the work of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha eloquent tributes have already been paid and I do not want to repeat them, but I wholly endorse whatever has been said specially by my friend, Dr. Ramakrishna Rao. I cannot claim to have been recently associated with the Sabha so closely, but in the earlier years from 1920 to 1940 I was associated with it in various ways. I know it is one of the most successful voluntary agencies which have worked for the cause of the spreading of Hindi, and the country cannot be too grateful for the work it has done. It is a pity that Shri Satyanarayana who has devoted so much time and energy for the development of the Hindi Prachar Sabha has not been able to attend this session, and I would like to place on record my own appreciation of the work he has done.

While I support this Bill, I wish that the Education Minister had taken a little more active interest and tried to place before this House the prospect of more intensive and wider use of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. After all, Madam, any institution which has existed for 45 years develops during that long period all kinds of difficulties, variations and changes which have to be met with. It also tends to fall into certain kinds of ruts from which it has to be lifted. I wish he had started with appointing a small Committee, a friendly and sympathetic Committee which would have reviewed the work of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha during the last 45 years, evaluated its work in various directions and also indicated how its work can be increased, and then the Bill could have been drafted in order to help the Sabha to do a wider service in the future than it has even done in the past.

Take, for instance, the constitution of the Sabha. It was started as a small centre in the City of Madras, the main function of which was to train Hindi Pracharaks who would open classes outside school hours for

children in various parts of South India. In those days there was no question of the Government or the education system taking up Hindi, and it was pioneering work and this was done really in a grand fashion by the Sabha. But that function has now lapsed. All the four States have provided Hindi teaching in the schools, and three out of the four States have made it compulsory. I think even in Madras the classes are compulsory though in examination it is not compulsory.

SHRI R. R. DIWAKAR (Nominated): It is an optional subject.

SHRI K. SANTHANAM: It is not an optional subject. The classes are compulsory. Therefore, that work of the Sabha has more or less lapsed. But now it has to do far greater work. It has to train and provide all the Government schools with the Hindi teachers needed, and for this purpose it has split itself up into four branches. So from being a unitary institution it has become a federal institution with four branches and one central office. It is essential to investigate how the central office and these four State institutions are connected, whether their present relations are altogether satisfactory, whether anything more should be done to put them on a truly satisfactory foundation. Of course, the hon. Min'ster may say that it is the function of the Board or of the Managing Committee, but we all know that outside assistance will make such things much easier. I wish a clause had been inserted to provide for this federal structure and the conferment of autonomy with the prospect of instituting separate funds for all these State branches.

Then about the functions themselves, I think, there is great scope for extending the functions of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. Now, the children are being taught Hindi in the schools, but the mothers I think should be tackled. In all the towns of all the four States if all the middle 457 RSD—4.

class women can be taught Hindi, then a great step would have been taken. But these mothers could not come to classes conducted by the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. So, home tuition, say twice a week—even half an hour or one hour will do—will have to be given. If, for instance, in the City of Madras a hundred girls can be trained to go from house to house and teach the women of the house, in two or three years' time thousands of women can be taught enough Hindi and they will become the most fervent propagandists of Hindi.

Then again take the college students. Now, there is no provision whatsoever for continuing Hindi for college students. Hindi is not one of the second languages in the colleges and so at the college level nothing is being done. I wish that the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha would establish hostels in all the big towns of the South on the condition that the students who join those hostels will learn Hindi and appear for the Hindi examination side by side with their other examinations. If two or three thousand college students can every year be coached up in Hindi—many of them are likely to go to other States and get into Central services—it will produce a very healthy effect.

I will go even further and say that it should be possible for the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha to establish a few secondary schools and one or two colleges where all things are taught in the Hindi medium. Now, all the secondary schools in the State of Madras are either Tamil medium or English medium. There are certain schools where English medium is adopted. But most of the schools have got the Tamil medium. I say there is need for one or two schools where everything is taught in the Hindi medium. For one thing these boys will become better Hindi Pracharaks and Hindi teachers in schools, and secondly there are of course many people from North India who are settled there and whose children cannot be

[Shri K. Santhanam.] taught either in the Tamil medium or in the English medium, and there are many Government of India servants whose children know more Hindi than their own mother-tongue. And they are not being provided with facilities for education. Therefore, if the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha can maintain one good high school in each of the four States and a combined college in the City of Madras for all these States together, it would be doing a great deal of service to the cause of Hindi.

Now, I am giving these illustrations not as an exhaustive list of all the things that can be done by a new, rejuvenated and better-assisted Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. Does this Bill contemplate any such expansion? Does it provide any kind of incentive or assistance? I regret to say that it does not. The hon. Minister has taken a very strict and formal view of his duty towards the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha and the only thing that he has provided is clause 4 which says:—

"Notwithstanding anything contained in the University Grants Commission Act, 1956, or in any other law for the time being in force, the Sabha may hold such examinations and grant such degrees, diplomas and certificates for proficiency in Hindi or in the teaching of Hindi as may be determined by the Sabha from time to time."

Here I do not know why the University Grants Commission Act, 1956 has been brought in. I have read that Act carefully and it does not cover the case of these institutions. That Act itself says that any institution which has been declared as an institution of national importance may confer degrees or titles, and I find that no such condition is put in the Hindi Sahitya Sammelan Act providing for such an exception. Clause 6 of that Act says:—

"Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder

the Sammelan shall perform the following functions, namely:—

(d) to arrange for the holding of examinations through the medium of Hindi language and to confer degrees, diplomas and other academic distinctions;"

There it was not considered necessary* to say "Notwithstanding anything contained in the University Grants Commission Act, 1956." That also is not a university. It also is only an institution of national importance. But I do not think it does any harm. But what I object to is that many of the other functions which have been described in clause 6 of the Hindi Sahitya Sammelan Act have not been provided for in this Bill. For instance, I have read out the clause about examinations. Then the next clause says:—

"to establish and maintain schools, colleges and other institutions for instruction in Hindi language and Hindi literature and also to affiliate schools, colleges and other institutions for its examinations;"

If this clause had been inserted here, it would have been of great use to the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. Now, without this clause, in the case of establishing and maintaining schools and the affiliation of schools, colleges, etc., it will be bound by such rules as may be made by the State Educational Department, and to free the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha from the State rules, it would have been of great assistance to it if it is enabled to start schools, colleges and hostels such as those I have been mentioning, and again to affiliate institutions . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Does the present Bill exclude that opportunity to establish schools and other things?

SHRI K. SANTHANAM: It does not prevent but the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha will be governed by the State rules on the subject. But if that clause had been put in here, it would not have been restricted in that

manner just as it has been done in the case of the Hindi Sahitya Sammelan. The existence of that clause in the Hindi Sahitya Sammelan Act means that it will not be bound by the rules of the U.P. Education Department.

And then it says—

"(f) to affiliate institutions having for their object the promotion of Hindi language and Hindi literature;"

Many speakers have pointed out that the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha is not the only institution doing service to the cause of Hindi, there are a variety of institutions and, therefore, this should be a central institution which will affiliate all those institutions and which will assist them in co-ordinating their activities so that there may be no waste of efforts.

Then again, it says:—

"(g) to award honorary decrees persons who may have rendered persons who may have rendered distinguished service to the cause of Hindi;"

This again would have been a proper clause to be inserted here.

Sub-clause (k) says:—

"to receive gifts, grants, donations or benefactions from the Government and to receive bequests, donations or transfers of movable and immovable properties from testators, donors or transferors, as the case may be;"

This again would have been a very useful clause though, of course, the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha may not be prevented; even now, they are receiving them. But to have put it here would be reminding the Government of India and the State Governments of their obligations to assist the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha.

Sub-clause (m) says—

"with the approval of the Central Government, to borrow on the security of the property of the Sammelan money for the purposes of the Sammelan;"

Here, this is both a valuable safeguard and a check. Now, presumably, the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha will be entitled to mortgage its property without the approval of the Central Government. I think, if this had been put in, it would also have been useful.

What I am suggesting is that the Bill has been made into the barest skeleton. The Minister has taken care that the minimum of recognition should be given, that nothing more should be done. I do not accuse him of any motive whatsoever but it suggests lack of active interest and sympathy. I think these subjects should be approached with more sympathy and imagination than as a mere performance of a necessary duty. Therefore, I suggest that whatever has not been done in the Bill should be done as a matter of fact and I hope that the successor to the present Education Minister will take a more active and intense interest and will use the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha as a means for the active promotion of Hindi.

I agree with many of my Hindi friends that in the matter of propagating Hindi, the Government of India has not shown as much interest, initiative and imagination as it should have done. If it had done so, much of the present dispute would have vanished and the country would have been in a much better position to implement the articles of the Constitution. And if only the Education Minister gives a crore of rupees and has a plan for ten years for the South, I think lakhs and lakhs of new people could be brought within the fold of Hindi and then the opposition would disappear. Now, it is there because many of the women, many of the officials and many of the

[Shri K. Santhanam.] middle class people who are vocal have not learnt Hindi. No special facilities have been offered to them excepting some schools and classes conducted by the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. Take the Members of Parliament from South India. I ask. Is it not the duty of the Government to see that Praeharaks go to them and offer their services and educate them in Hindi? If they do it, I think 90 per cent, of the Members of Parliament from the South would be very glad to learn Hindi. They have no time, they cannot go to the classes. You cannot expect them to get books themselves or show very much interest. Some of them do, some of them have learnt Hindi. I say, it is the duty of the Education Ministry to see that as many people as possible receive personal attention. They should send Praeharaks to them, to their houses. Even if they do not learn, let their wives and children learn and then the fathers will be forced to learn. This is the way in which the thing has to be done and I hope whatever time has been lost, greater interest, enthusiasm and imagination will be shown by the department in the future.

شری پیارے لال کرپل : طالب ۲۲
(اتر پردیش) : مہودیہ : میں آپ کا

زیادہ تائم نہیں لوں گا کل آپ نے
مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں
زیادہ دور سے نہ بولا کروں نرمی سے
بولوں۔ تو میں آپ کے کہنے کے
مطابق آج بیت سو فٹلی اور نرمی سے
بولوں گا۔ ہندی ہمارے دیہ کی
راشتر بھاشا ہے اور ہم نے سنودھان کے
ذریعہ اس کو راشتر بھاشا قبول کر لیا
ہے۔ ہمارے سنودھان کے پارٹ ۱۷ میں
۳۴۳ دفعہ کے مطابق اس کو راشتر
بھاشا مان لیا گیا ہے۔ میں اس

سمبندھ میں دو اور دفعوں کو سنن
کی جان کاری کے لئے پڑھنا چاہتا
ہوں۔ پہلی دفعہ میں یہ لکھا ہے -

"The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union:

Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication."

"It shall be the duty at the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages."

ہمارے سنودھان میں یہ تین چار
دفعائیں ہیں جو بہت اہمیت رکھتی
ہیں۔ چہاں تک ہندی کو راشتر
بھاشا بنانے کا سوال ہے ہم نے سنودھان
میں تو اس کو ہندوستان کی راشتر
بھاشا بنا دیا ہے لیکن حقیقی طور پر
نہیں۔ ہمیں آزاد ہوئے پندرہ سال
ہو گئے ہیں۔ میں نہایت افسوس کے
ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری سرکار نے
اس کی ترقی اور اشاعت کے لئے کوئی

موثر قدم نہیں اٹھایا - شروع شروع میں جس سے ہندی راشٹر بھاشا مدائی گئی تھی - اس سے سرکار کی طرف سے کچھ کوشش کی گئی تھی اور اس کا کافی پرچار بھی ہوا تھا - اسکول اور کالجوں میں بھی ہندی کا کافی پرچار چلا - لیکن اب گورنمنٹ کچھ نرم پڑ گئی ہے - اس کی طرف جتنا دھیان دیا جانا چاہیئے تھا اتنا نہیں دیا جا رہا ہے اور اب وہ اس کام سے کچھ علیحدہ ہو رہی ہے -

ہمارے دکھنی بھارت میں بہت سی ایسی سائنسٹاں ہیں جو ہندی کے پرچار کا کام کر رہی ہیں - آپ جانتے ہیں کہ سن ۱۹۱۸ء میں دکھنی بھارت ہندی پرچار سبھا کی استہاپنا ہوئی تھی اور مہاتما گاندھی جی نے اس کو قائم کیا تھا - اس کے بعد سے یہ سائنسٹاں برابر دکھنی بھارت میں ہندی کا پرچار کر رہی ہے - جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے کہ اس سائنسٹا کے ۶ ہزار سائنس میں ۷ ہزار پرچارک ہیں اور ۷ ملین لوگ اس کے ذریعہ ہندی پڑھ چکے ہیں - ۴۵ سال سے یہ سائنسٹا ہندی کے پرچار کا کام کر رہی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہے کہ اتنی پرانی سائنسٹا ہونے پر بھی سرکار نے اس کی اور اب تک دھیان نہیں دیا - یہ سائنسٹا دیہی کی بہت بڑی سروس کر رہی

ہے اور سرکار کو چاہیئے تھا کہ وہ اس کو بہت پہلے ایک قومی ادارہ تسلیم کرتی - اس سائنسٹا کی تو اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کو ایک قومی ادارہ کی حیثیت ملنی چاہیئے تھی - یہ سائنسٹا نیشنل امپورٹینس کی سائنسٹا تسلیم کی جانی چاہیئے تھی کیونکہ اس کے ذریعہ ہندی کے پرچار کا کام بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور ہماری انیشیئل لینگویج حقیقی طور پر ایک راشٹر بھاشا بن سکتی ہے -

دوسری بات یہ ہوتی کہ اگر ہم نے اس کو نیشنل امپورٹینس کا ادارہ مان لیا ہوتا تو اس سے نیشنل انٹیکریشن کا کام بھی بہت اچھی طرح سے ہو سکتا تو گھر کہ دکھنی بھارت میں جہاں کہ نان ہندی بولنے والے لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پر ہندی کا پرچار بھی ہوتا اور اس سے نیشنل انٹیکریشن کا کام بھی ہوتا - میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ اس سائنسٹا کو اور تمام نان ہندی سائنس میں بھی ایسے پرچار کا کام کرنا چاہیئے - جس سے ہمارا نیشنل انٹیکریشن ہو سکے گا - اس بل میں ہندی پرچار سبھا کے جو ایمر ایڈیشن دیئے گئے ہیں وہ بہت اچھے ہیں - ساؤتھ میں یہ ہندی پرچار سبھا قائم کی گئی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میرو سرکار سے یہ عرض ہے کہ وہ نان ہندی اسپیکنگ ایریا میں اسپیشل کالج اور اسکول کھولے جہاں پر ہندی سکھائی جا سکے - اور اس کا پرچار ہو سکے - اور جہاں پر طالب علموں کو استھاندرہ

[شری پیارے لال کرپل : طالب علم]

ہندی سکھائی جا سکے اور سارٹیفیکیٹ دئیے جا سکیں - میری تو سرکار سے یہ پزارتہنا ہے کہ سارٹو کے طالب علموں کو نارتو میں بھیجا جائے جہاں پر وہ ہندی سیکھ سکیں - یہ طالب علم نارتو میں ایک در سال دھوں وہاں پر ہندی پڑھنا اور بولنا سیکھیں اور اس طرح سے ہمارے دیس بھر میں نویشنل انٹیگریشن میں کافی مدد ہو سکتی ہے - میرا تو سرکار کے سامنے یہ سچا ہر ہے کہ وہ خود اس طرح کا ایک نویشنل ادارہ دلی میں قائم کرے جہاں پر ہندی پڑھائی جا سکے اور اصلی تعلیم ہندی میں دی جا سکے - نان ہندی اسٹنگ ایریاز کے طالب علم اس قومی ادارہ میں ہندی پڑھنے کے لئے آئیں - اور ان کو ہر طرح کی سہولیت اور دوسرے مواقع زیادہ سے زیادہ دئیے جائیں - یہ سرکار اس بات کی اور ضرور وچار کرے گی کہ جس طرح کا یہ ادارہ ہے اسی طرح کا ایک قومی ادارہ سرکار کی طرف سے بھی قائم ہونا چاہئے - اس طرح کے جو ہمارے ملک میں ادارے ہیں ان کو سرکار کی اور سے زیادہ سے زیادہ مالی امداد پہنچانی چانی چاہئے - جہاں تک اس سلسلہ کا تعلق ہے یہ ایک سیلف سپورٹنگ سلسلہ ہے پھر بھی اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے سرکار کو چاہئے کہ وہ جتنی مالی مدد اس کو دے سکتی ہے دے تاکہ جو لوگ ہندی سکھانے

چاہتے ہیں انہیں اس کے ذریعہ ہر قسم کی سہولت مل سکے - اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سرکار سے یہ عرض کروں گا کہ ہندی کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے نارتو کی یونیورسٹیوں میں طالب علموں کو بھیجا جائے بڑے بڑے کالجوں میں بھیجا جائے اور اس کے لئے انہیں پیسہ کی ضرورت ہوگی جس کے لئے سرکار کو مالی مدد کے روپ میں انہیں سپاہیتا دیلی چاہئے - سرکار کو ایسے اسپیشل اسکول اور کالج قائم کرنے چاہئیں جہاں پر ہندی سکھائی جا سکتی ہو - سارٹو میں ہی اس چیز کا پرچار نہ ہو بلکہ سب اسٹیٹ میں ہندی کے پرچار کا کام کیا جانا چاہئے - جو لوگ اس پرچار کے کام کو کرتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سہولت سرکار کی طرف سے دی جانی چاہئے - اس لئے ان سب چیزوں کی اور سرکار کو خاص طور پر دھیان دینا چاہئے تاکہ ہندی صحیح معنوں میں ہماری راشٹر بھاشا بن سکے -

اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں کی جانی چاہئے جس سے ہندی زبان مشکل بن جائے - اس زبان کو سنسکرتوانز نہیں کیا جانا چاہئے اور نہ اس میں زیادہ سے زیادہ لفظ سنسکرت کے لئے جانے چاہئیں - بلکہ جو عام پرچلت شبد ہیں جو روزانہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہئے

بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ساؤتھ کی زبانوں کے لفظ بھی اس کے اندر لکھے جانے چاہئیں۔ جب سب زبانوں کے لفظ پرویش ہو جائیں گے تب ہندی زبان مستحکم معنوں میں راشٹر بھاشا بن سکے گی۔ میں اس وقت ساؤتھ کے لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہندی ہماری نیشنل لینگویج ہے اور نیشنل لینگویج کسی ایک قوم کسی ایک صوبہ کسی ایک فرقہ یا حصہ کی زبان نہیں ہے۔ زبانوں جو ہیں وہ خود بخود پرویش پاتی ہیں وکست ہوتی تو ہیں اور اس کو ایک نیشنل لینگویج سمجھ کر سیکھنا چاہئے۔ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں تھی لیکن ساؤتھ کے لوگوں نے اس میں بڑی افیشینسی حاصل کی اور وہ بڑے فلیوونٹلی وہ بھاشا بولنے لگے اور لکھنے میں بھی ماہر رہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس طرح سے انہوں نے انگریزی کو اپنا آزادانہ ملنے کے بعد اور اس بات کو ماننے ہوئے کہ ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اس کو بھی اسی طرح سے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح سے انہوں نے انگریزی میں اپنی افیشینسی حاصل کر لی اسی طرح سے وہ ہندی زبان کو سیکھ کر یہ ثابت کر دیں گے کہ وہ اس زبان میں بھی اسی طرح کی افیشینسی

ہے۔ اسی طرح سے ہر ساؤتھ کے آدمی کو یہ سمجھنا چاہئے کہ ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے اور یہ ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس بھاشا کو سب لوگوں کو سکھائیں۔ میں خاص طور پر اس ادارہ کے متعلق کہنا چاہتا ہوں کہ اسے پبلک پیٹرونیج ملنا چاہئے اور سرکار کی طرف سے اس کو زیادہ سے زیادہ مالی امداد ملنی چاہئے۔ ایسے اداروں کی اور بھی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ کے کونے کونے میں ایسے ادارہ ہونے چاہئیں جن کو پبلک پیٹرونیج مل سکے اور ہماری سرکار کو بھی یہ چاہئے کہ وہ اس طرح کے ادارہ قائم کرنے میں زیادہ سے زیادہ سہولیت دے۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اتری بھارت میں بھی ایسے کئی نیشنل انسٹی ٹیوٹ ہونے چاہئیں۔ اگر نہیں ہیں تو سرکار کو انہیں قائم کرنا چاہئے + ایسی غیر سرکاری سلسلہائیں یا سرکاری ادارے ہونے چاہئیں جہاں پر ساؤتھ کی لینگویج سکھائی جا سکے۔ یہ ہمارا فرض ہو جاتا ہے سرکار کا بھی فرض ہو جاتا ہے کہ جب ہم ساؤتھ کے لوگوں کو ہندی سیکھنے کے لئے کہتے ہیں تو وہیں کی زبان بھی ہم لوگ سیکھیں اور اس میں پروفیشنلسی

[श्री पियारे लाल कुरील :
प्रेमदा करिये - अस बात की ओर सरकार
ने अब तक ध्यान नही दिया है ओर
मैं ये कहूँ गा कि अस बात की
बहुत सख्त जरूरत है कि नार्थ एंड
साउथ की भाषाओं को सीकिये -

मैंने ज्यादा कहा नहीं चाहता हूँ
क्योंकि मेरी طبیعت ठीक नहीं
है - मैं अस बिल को सपोर्ट करूँ गा
कि अस طرح के قومی اداروں کو
करोड़ों रुपये दिया जाना चाहिये ओर अस
طرح के قومی ادارے ہر جگہ ہونے
چاہئیں - خاص طور پر ساؤتھ میں
ضرور ہونے چاہئیں -

†[श्री प्यारे लाल कुरील :
(उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं आपका
जवाब टाइम नहीं लूँगा। कल आपने
मुझसे दरखास्त की थी कि मैं ज्यादा जोर
से न बोला करूँ नरमी से बोलूँ। तो मैं आपके
कहने के मुताबिक आज बहुत सॉफ्टली
और नरमी से बोलूँगा। हिन्दी हमारे देश
की राष्ट्र भाषा है और हमने संविधान के
अधिनियम उसको राष्ट्रभाषा कबूल कर लिया
है। हमारे संविधान के पार्ट १७ में ३४३
दफ्ता के मुताबिक इसको राष्ट्रभाषा मान
लिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में दो और
दफ्तों को सदन की जानकारी के लिए पढ़ना
चाहता हूँ। पहली दफा में यह लिखा
है:

"The language for the time being
authorised for use in the Union for official
purposes shall be the official language for
communication between one State and
another State and between a State and the
Union:

[] English transliteration*

Provided that if two or more States agree
that the Hindi language should be the
official language for communication
between such States, that language may be
used for such communication."

इसके इलावा एक दफा और है आर्टिकल
३५१:

"It shall be the duty of the Union to
promote the spread of the Hindi language,
to develop it so that it may serve as a
medium of expression for all the elements of
the composite culture of India and to secure
its enrichment by assimilating without
interfering with its genius, the forms, style
and expressions used in Hindustani and in
the other languages of India specified in the
Eighth Schedule, and by drawing, wherever
necessary or desirable, for its vocabulary,
primarily on Sanskrit and secondarily on
other languages".

हमारे संविधान में यह ३-४ दफाएँ हैं जो
बहुत अहमियत रखती हैं। जहाँ तक हिन्दी
को राष्ट्रभाषा बनाने का सवाल है हमने
संविधान में तो इसको हिन्दुस्तान की राष्ट्र-
भाषा बना दिया है, लेकिन हकीकत तोर
पर नहीं। हमें आश्चर्य हुआ पन्द्रह साल हो
गए हैं। मैं निहायत अफसोस के साथ कहता
हूँ कि हमारी सरकार ने इसको तरक्की और
इजायत के लिये कोई मुअस्सर कदम नहीं
उठाया। शुरू शुरू में जिस समय हिन्दी
राष्ट्रभाषा बनाई गई थी उस समय सरकार
की तरफ से कुछ कोशिश की गई थी और
इसका काफी प्रचार भी हुआ था। स्कूल
और कॉलेजों में भी हिन्दी का बड़ा प्रचार
चला। लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ तरफ पड़
गई है। इसकी तरफ जितना ध्यान दिया
जाना चाहिये था उतना नहीं दिया जा रहा
है और अब यह इस काम से कुछ अलहदा हो
रही है।

हमारे दक्षिणी भारत में बहुत सी ऐसी
संस्थाएँ हैं जो हिन्दी के प्रचार का काम

कर रही हैं। आप जानते हैं कि सन् १९१८ में दक्षिणी भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी और महात्मा गांधी जी ने इसको कायम किया था। इसके बाद से यह संस्था बराबर दक्षिणी भारत में हिन्दी का प्रचार कर रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और मुझे भी मालूम है कि इस संस्था के ६ हजार सेंटर्स हैं। सात हजार प्रचारक हैं और सात मिलियन लोग इसके जरिये हिन्दी पढ़ चुके हैं। ४५ साल से यह संस्था हिन्दी के प्रचार का कार्य कर रही है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ती है कि इतनी पुरानी संस्था होने पर भी सरकार ने इसकी और अब तक ध्यान नहीं दिया। यह संस्था देश की बहुत बड़ी सविस्तर कर रही है और सरकार को चाहिए था कि वह इसको बहुत पहले एक कौमी अदारा तसलीम करती इस संस्था की तो एहमीयत इतनी ज्यादा थी कि इसको एक कौमी अदारा की हैसियत मिलनी चाहिए थी। यह संस्था नेशनल इम्पीटैन्स की संस्था तसलीम की जानी चाहिये थी; क्योंकि इसके जरिये हिन्दी के प्रचार का काम बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है और हमारी आफीशल लैंग्वेज हकीकी तौर पर एक राष्ट्रभाषा बन सकती है।

दूसरी बात यह हुई कि अगर हमने इसको नेशनल इम्पीटैन्स का अदारा मान लिया होता तो उससे नेशनल इन्टेग्रेसन का काम भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता था, क्योंकि दक्षिणी भारत में जहां कि नान-हिन्दी बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर हिन्दी का प्रचार भी होता और इससे नेशनल इन्टेग्रेसन का काम भी होता। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इस संस्था को और तमाम नान हिन्दी स्टेट्स में भी अपने प्रचार का काम करना चाहिये। जिससे हमारा नेशनल इन्टेग्रेसन हो सकेगा। इस बिल में हिन्दी प्रचार सभा के जो एम्स एंड ओबजेक्ट्स दिये गये हैं, वह बहुत अच्छे हैं। साउथ में यह हिन्दी प्रचार सभा कायम की गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन

मेरी सरकार से यह अर्ज है कि वह नान-हिन्दी स्पीकिंग एरिया में स्पेशल कालेज और स्कूल खोले जहां पर हिन्दी सिखलाई जा सके और इसका प्रचार हो सके और जहां पर तालिब-इल्मों को स्टेंडर्ड हिन्दी सिखलाई जा सके और सर्टीफिकेट दिये जा सकें। मेरी तो सरकार से यह प्रार्थना है कि साउथ के तालिब-इल्मों को नार्थ में भेजा जाए, जहां पर वह हिन्दी सीख सकें। यह तालिब-इल्म नार्थ में एक दो साल रहें वहां पर हिन्दी पढ़ना और बोलना सीखें और इस तरह से हमारे देश भर में नेशनल इंटिग्रेसन में काफी मदद हो सकती है। मेरा तो सरकार के सामने यह सुझाव है कि वह खुद इस तरह का एक नेशनल अदारा दिल्ली में कायम करे जहां पर हिन्दी पढ़ाई जा सके और आला तालीम हिन्दी में दी जा सके। नान-हिन्दी स्पीकिंग एरियाज के तालिब-इल्म इस कौमी अदारा में हिन्दी पढ़ने के लिये आएँ और उनको हर तरह की सहूलियत और दूसरे मकाका ज्यादा से ज्यादा दिये जाएँ। यह सरकार इस बात की ओर जरूर विचार करेगी कि जिस तरह का यह अदारा है इसी तरह का एक कौमी अदारा सरकार की तरफ से भी कायम होना चाहिए। इस तरह के जो हमारे मुल्क में अदारे हैं, उनको सरकार की ओर से ज्यादा से ज्यादा माली इमदाद पहुंचानी चाहिए। जहां तक इस संस्था का ताल्लुक है यह एक सेल्फ सपोर्टिंग संस्था है फिर भी इसकी एहमियत को देखते हुए सरकार को चाहिये कि वह जितनी माली मदद इसको दे सकती है, दे, ताकि जो लोग हिन्दी सीखना चाहते हैं, उन्हें उसके जरिये हर किस्म की सहूलियत मिल सके। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से यह अर्ज करूंगा कि हिन्दी की आला तालीम हासिल करने के लिए नार्थ की यूनिवर्सिटियों में तालिब-इल्मों को भेजा जाए, बड़े बड़े कालेजों में भेजा जाए और इसके लिये उन्हें पैसों की जरूरत होगी जिसके लिय सरकार को माली मदद के रूप में उन्हें सहायता देनी

[श्री प्यारे लाल कुरील तालिब']

चाहिये। सरकार को ऐसे स्पेशल स्कूल और कालेज कायम करने चाहिये जहां पर हिन्दी सिखलाई जा सकती हो। साउथ में ही इस चीज का प्रचार न हो बल्कि सब स्टेट्स में हिन्दी के प्रचार का काम किया जाना चाहिये। जो लोग इस प्रचार के काम को करते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहुलियत सरकार की तरफ से दी जानी चाहिये। इसलिये इन सब चीजों की ओर सरकार को खास तौर पर ध्यान देना चाहिये ताकि हिन्दी सही मायनों में हमारी राष्ट्रभाषा बन सके।

इसके इलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिये जिससे हिन्दी जवान मुश्किल बन जाए। इस जवान को संस्कृताईज नहीं किया जाना चाहिए और ना इसमें ज्यादा से ज्यादा लफ्ज संस्कृत के लिये जाने चाहिये। बल्कि जो आम प्रचलित शब्द हैं, जो रोजाना जिन्दगी में इस्तेमाल होते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिये। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि साउथ की जवानों के लफ्ज भी इसके अन्दर लेने चाहिए। जब सब जवानों के लफ्ज प्रवेश हो जाएंगे तब हिन्दी जवान सही मानों में राष्ट्रभाषा बन सकेगी। मैं इस वक्त साउथ के लोगों से भी दरखवास्त करूंगा कि हिन्दी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज किसी एक कौम, किसी एक सूबे, किसी एक फिरके या हिस्से की जवान नहीं है जवान जो है वह खुद-ब-खुद परिवर्तित होता है विकसित होता है और इसको एक नेशनल लैंग्वेज समझ कर सीखना चाहिये अंग्रेजी हमारी मादरी जवान नहीं थी लेकिन साउथ के लोगों ने इसमें बड़ी एफ़ीशैन्सी हासिल की और वे बड़े फलफुल्युली वह भाषा बोलने लगे और लिखने में भी माहिर रहे। मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजी को अपनाया—आजादी मिलने के बाद और इस बात के जानते हुए कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, अब इसमें कोई तबदीली नहीं हो सकती है, इसको भी इसी तरह से

अपनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजी में अपनी एफ़ीशैन्सी हासिल करली इसी तरह से वह हिन्दी जवान को सीख कर यह साबित कर देंगे कि वह इस जवान में भी इस तरह की एफ़ीशैन्सी ला सकते हैं। इसी तरह से हर साउथ के आदमी को यह समझना चाहिये कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और यह हमारा फ़र्ज हो जाता है कि हम इस भाषा को सब लोगों को सिखलायें। मैं खास तौर पर इस अदारे के मुतल्लिक कहना चाहता हूँ कि इसे पब्लिक पेट्रोनेज मिलना चाहिये और सरकार की तरफ से इसको ज्यादा से ज्यादा माली इमदाद मिलनी चाहिये। ऐसे अदारों की ओर भी जरूरत है और मैं समझता हूँ कि साउथ के कोने कोने में ऐसे अदारे होने चाहिए जिनको पब्लिक पेट्रोनेज मिल सके और हमारी सरकार को यह चाहिये कि वह इस तरह के अदारे कायम करने में ज्यादा से ज्यादा सहुलियत दे।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि उत्तरी भारत में भी ऐसे कई नैशनल इन्स्टिट्यूट होने चाहिए। अगर नहीं हैं तो सरकार को इन्हें कायम करना चाहिये। ऐसी गैर-सरकारी संस्थाएं या सरकारी अदारे होने चाहिये जहां पर साउथ की लैंग्वेज सिखलाई जा सके। यह हमारा फ़र्ज हो जाता है। सरकार का भी फ़र्ज हो जाता है कि जब हम साउथ के लोगों को हिन्दी सीखने के लिये कहते हैं तो वहां की जवान भी हम लोग सीखें और इसमें प्रोफ़ीशैन्सी पैदा करें। इस बात की ओर सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है और मैं यह कहूंगा कि इस बात की बहुत सक्त जरूरत है कि नॉर्थ वाले साउथ की भाषाओं को सीखें।

मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इस बिल को सपोर्ट करूंगा कि इस तरह के कौमी अदारों को करोड़ों रुपया दिया जाना चाहिए और इस तरह के कौमी अदारे हर जगह होने चाहिये खासकर साउथ में जरूर होने चाहिए।

प्रो० रामबारी सिंह दिनकर (बिहार):

उपसभापति महोदया, यह विषयक बिल्कुल निर्दोष है और इसकी किसी भी धारा पर दो मत हैं ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। अलवत्ता यह मौका है राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिनकी प्रेरणा से यह सभा कायम हुई थी। यह मौका है स्वर्गीय देवदास गान्धी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो हिन्दी के पहिले प्रचारक हो कर के दक्षिण भेजे गये थे और यह मौका सब से अधिक श्री मतूरी सत्यनारायण की प्रशंसा का है, जिनके अथक परिश्रम से यह समा इतनी सफलता प्राप्त कर सकी। और भी बहुत से लोग हैं खासकर उत्तर भारत के जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी इस काम में लगा दी और फर्रुखाबाद के स्वर्गीय पंडित रघुबर दयाल मिश्र जिनका देहान्त यही काम कर करते मद्रास में हुआ अथवा पंडित अवध नन्दन, पं० रामानुज शर्मा जो बिहार के हैं और जिन्होंने सारा जीवन हिन्दी के काम में लगाया।

लेकिन जो प्रस्ताव विवादग्रस्त नहीं है उस पर भी बोलते हुये लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। कल जब मैं यहां बैठा था तो मंत्री जी के बाद जो पहिले सदस्य बोले, कुमारन साहब, उनके मुंह से एक बात निकल गई जो अच्छी नहीं थी। उन्होंने यह यह शिकायत की कि हिन्दी की अपेक्षा देश की अन्य भाषायें बहुत अच्छी हैं, कई भाषायें बहुत अच्छी हैं, यह हिन्दी के मार्ग में एक कठिनाई है। मेरा ख्याल है कि ऐसी बात बोलने से देश की एकता नहीं बढ़ती है और ऐसी बातों का अगर सही जवाब दिया जाये तो उससे भी एकता को चोट पहुंचती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि भाषा के प्रश्न पर बोलते हुए हम में से कोई भी व्यक्ति एक भाषा को दूसरी भाषा से छोटा या बड़ा न कहे। अलवत्ता उम्र के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि तामिल सबसे बड़ी बहिन हैं भारतीय भाषाओं की।

दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि हिन्दी की एक विलक्षण शक्ति की ओर सब लोगों का ध्यान नहीं जाता है। किसी समय इस देश में संस्कृत प्रचलित थी, कब प्रचलित थी, कब लोग बोलते थे हम नहीं जानते। जितना इतिहास मिलता है उसमें तो यही देखा जाता है ...

श्री प्रकाश नारायण सप्रू (उत्तर प्रदेश):
कभी संस्कृत बोली भी जाती थी।

प्रो० रामबारी सिंह दिनकर : बोली भी जाती होगी, यह अनुमान से कह सकते हैं। जो इतिहास लिखा हुआ है उसमें तो यही मालूम होता है कि संस्कृत शिष्टजनों की भाषा थी, आम जनों की भाषा दूसरी थी, प्राकृत भाषा।

श्री सी० डी० पाण्डे (उत्तर प्रदेश):
जैसे आजकल अंग्रेजी है।

प्रो० रामबारी सिंह दिनकर हां वह कह सकते हैं, मैं कहता हूं कि जैसे आज कल हिन्दी है। संस्कृत किसी की मातृभाषा नहीं थी, इसलिए सारे देश की भाषा हुई। हिन्दी भी किसी की मातृभाषा नहीं है, इसी लिए वह सारे देश की भाषा है और गान्धी जी जब अंग्रेजों की जगह पर एक अपने देश की भाषा खोजने लगे तो हिन्दी की तरफ ध्यान उनका इसलिए गया कि हिन्दी में उन्होंने जोड़ने की ताकत देखी। तोड़ने की ताकत नहीं देखी। जोड़ने की ताकत से मेरा क्या मतलब है! किसी गुजराती को मिथिला भेज दीजिए, वह गुजराती में बोले तो उसकी बात कोई नहीं समझेगा और टूटी फूटी हिन्दी बोले तो सभी समझेंगे। एक मैथिली को गुजरात भेज दीजिए और वह मैथिली बोले तो कोई नहीं समझेगा और टूटी फूटी हिन्दी बोले तो सब समझ लेंगे। और भी प्रमाण हैं। हिन्दी की पश्चिमी सीमा है राजस्थान और राजस्थान जन्म हुआ मीराबाई का और मीराबाई पर दावा गुजरात वाले भी करते हैं और

[प्रो० रामधारी सिंह दिनकर]

हिन्दी वाले भी करते हैं। हिन्दी की पूर्वी सीमा है बिहार। बिहार में विद्यापति हुए। विद्यापति पर दावा बंगाल वाले भी करते हैं, आसाम वाले भी करते हैं, उड़ीसा वाले भी करते हैं और हिन्दी वाले भी करते हैं। इसलिये विलक्षणता यही है कि संस्कृत ने या प्राकृत ने उत्तर में एक ऐसी भाषा पैदा कर दी जो बिना सीखे हुए भी थोड़ी बहुत सब जगह चल जाती है। दक्षिण में तो ऐसी कोई भाषा पैदा नहीं हुई। पठानों के समय में हिन्दी हैदराबाद तक पहुंच गई और उससे भी दक्षिण पहुंच गई। मुगल साम्राज्य में भी हिन्दी का विकास हुआ। इसलिये हिन्दी सर्वत्र प्रचलित थी और पूरे देश को जोड़ रही थी। यही जानकर गांधी जी ने हिन्दी का चुनाव किया और हिन्दी के लिये काम किया। इस लक्ष्य को हम अपने साथ रखें और सामने रखें तो सब समस्याएँ हल हो जाती हैं। हमारी मुसीबत यह है कि जो समस्याएँ हमारे परपोते हल करेंगे उनको भी हम हल करने जा रहे हैं, इसलिये कठिनाई और बढ़ जाती है।

अभी में हैदराबाद गया था। वहाँ दक्षिण भारत प्रचार सभा की आंध्र शाखा की रजत जयन्ती थी। उस रजत जयन्ती में राष्ट्रपति पधारे हुए थे, गृह मंत्री पधारे हुए थे, हजार डेढ़ हजार प्रचारक सारे दक्षिण भारत से जमा थे और एक बहुत बड़ा दृश्य था कि हिन्दी का कितना बड़ा काम हो रहा है। खैर, मैं यह बात तो नहीं कहना चाहता कि हिन्दी का बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसी से हम संतोष कर लें। उस सभा में दो तीन बातें गृह मंत्री जी ने कहीं जिन पर सभी प्रचारकों ने बड़ी जोर से तालियाँ बजायीं और बड़े उत्साह में आ गये अब तो सरकार में से तो गंमन आगमन का वह समय बीत रहा है, मैं श्रीमाली जी से

क्या कहूँ, या लाल बहादुर जी से क्या कहूँ जिन्होंने वहाँ वचन दिये थे।

भी अकबर अली खान : डा० गोपाला रेड्डी।

प्रो० रामधारी सिंह दिनकर : डा० गोपाला रेड्डी भी वहाँ थे, संजीव रेड्डी जी भी वहाँ थे और उनके सामने यह बात हुई। अब वह बातें सुन लीजिये कि वह बातें क्या हुई। गृह मंत्री जी के सामने प्रचारकों ने यह बातें रखी होंगी, इसलिये उन्होंने बड़ी ही बुद्धिमत्ता पूर्वक कहा था—मुख्य मंत्री वहाँ मौजूद थे, राज्यपाल आन्ध्र के भी मौजूद थे—कि मेरे सुनने में यह आया है कि हिन्दी पंडितों को हिन्दी पढ़ाने के कम घंटे दिये जाते हैं, उन घंटों को आप बढ़ा दीजिये। दूसरी शिकायत यह थी कि हिन्दी पंडितों के वेतन बहुत कम रखे जाते हैं, जिससे प्रेरणा लोगों को नहीं मिलती है। मुझे याद नहीं है कि मुख्य मंत्री ने इस पर क्या कहा, लेकिन मुझ से लोगों ने कहा कि मुख्य मंत्री ने दोनों बातें मान लीं और उन्होंने कहा कि पढ़ाई के घंटे भी बढ़ाये जायेंगे और वेतन पर भी पुनः विचार होगा।

एक बात और है। हिन्दी सिखा देते हैं फिर वह लोग भूल जाते हैं और उसका उपयोग नहीं होता है। अंग्रेजी क्यों चली? अंग्रेजी, अंग्रेजों के लाठी चलाने से नहीं चली। जब हिन्दुस्तानियों को यह दिखलाई पड़ा कि अंग्रेजों में रोटी आसानी से मिलती है तो सब लोग अंग्रेजी सीखने लगे। अब हिन्दी को आप राष्ट्रभाषा बना रहे हैं और हिन्दी सीखा हुआ अहिन्दीभाषी उम्मीदवार इस आधार पर भी प्राथमिकता नहीं पा सकता कि उसने हिन्दी सीख ली है, तो हिन्दी सीखना न सीखना सब बेकार है। मुख्य बात यह है कि जो लोग हिन्दी सीख लें उनका

अगर कहीं नौकरी में मौका आवे तो जिसको कहते हैं 'everything being equal' अगर और तरह से वह योग्य हों और हिन्दी वह जानते हों तो जिसने हिन्दी नहीं सीखी है या वह हिन्दी-भाषी है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का उम्मीदवार है, उस पर उसको तरजीह मिलनी चाहिये ।

तीसरी बात । वहां प्रचारकों के अन्दर मैं दो तीन दिन रहा और कई दिन प्रचारकों से मिला । सब लोग इस बात की आवश्यकता अनुभव करते हैं कि दक्षिण में हिन्दी का मासिक पत्र, हिन्दी का साप्ताहिक पत्र और हिन्दी का एक दैनिक पत्र निकलना चाहिये, लेकिन कौन अपना रुपया इसमें झोंकने जायेगा ? सरकार का कर्तव्य है कि हिन्दी प्रचार के नाम पर वह इन पत्रों को निकालने की व्यवस्था करे । मैं जानता हूं कि मंत्री जी ने जो घोषणा की है कि वे इस विधेयक के द्वारा आर्थिक डिसिजन नहीं ले रहे हैं और न लेने की जरूरत है । मगर सरकार के और भी सूत्र हैं जिन सूत्रों का रुपया हिन्दी के काम के लिये खर्च किया जायेगा ।

एक बात संतानम् साहब की मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो संसद् में सदस्य हैं अहिन्दीभाषी प्रान्तों के वह हिन्दी सीखना चाहें तो व्यवस्था यह होनी चाहिये कि उनको ज्यादा दिक्कत उठानी न पड़े, चाहे तो उनके घर जा करके हिन्दी प्रचारक हिन्दी सिखायें या दो चार घर मिला कर एक क्लास चले । यह काम हिन्दी संसद् किया करती थी, लेकिन उसका काम कुछ ढीला हो गया है और मैं चाहूंगा कि मंत्रियों में सब से कम काम वाले मंत्री सत्यनारायण बाबू, जो संसदीय मंत्री हैं उनके सुपुर्द यह काम

कर दिया जाये कि अहिन्दी-भाषी सदस्य को हिन्दी सिखाने की योजना वह तैयार करें और जिसको जरूरत हो उसको हिन्दी सिखला दें ।

संतानम् साहब ने कुछ इस बात की शिकायत की कि यह विधेयक बड़ा कमजोर है और इसका वृत्त बहुत छोटा रखा गया है । उसमें तो सरकार का कोई दोष नहीं है । सरकार को तो इस विधेयक के लाने के पहले दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा से राय करनी थी, उनकी सम्मति लेनी थी और जो कम से कम चीज वह चाहते थे, वहां वाले, वही चीज रखी गई । स्वतंत्र संस्थायें यह नहीं चाहती हैं कि किसी लोभ में आ कर वह अपनी गर्दन सरकार के हाथ में दें । यह दूसरी बात है कि सरकार अगर रुपया सभा को दे तो सभा बहुत अच्छा काम कर सकती है । मैं सत्यनारायण जी के समय भी वहां जाता था, सत्यनारायण जी अब सभा में नहीं हैं तब भी जाता हूं, पहले भी मेरा ख्याल था और अभी भी मेरा ख्याल है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा अत्यंत जवाबदेह संस्था है, उसके पाठ्यग्रंथ बहुत ही अच्छे हैं, परीक्षा लेने का ढंग बहुत ही अच्छा है, कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं है और सबसे बड़ी बात है—जिससे सारे देश को सबक लेना चाहिये—कि उनके पाठ्य ग्रंथों में राष्ट्रीय एकता पर बहुत अधिक जोर है । इस चीज को बाकी संस्थायें भी अगर करें तो बहुत अच्छा है ।

उपसभापति महोदया, और ती मुझे कुछ कहना नहीं है, एक बात और कह दूं कि आगरे में जो संस्थान बना है वह भी सत्यनारायण जी का बनवाया हुआ है, उसमें अहिन्दी प्रान्त के छात्र रहते हैं और उद्देश्य यह है कि विशेष रूप से वह हिन्दी सीख सकें, उच्चारण समझ सकें और उन उच्चारणों का अपने

[प्रो० रामधारी सिंह दिनकर]

यहाँ प्रचार करें। आगरे वाले संस्थान पर सरकार का पूरा ध्यान रहना चाहिये, वैसे संस्थान और भी बनने चाहियें और संतानम् साहब ने जो कहा है वह तो भाषा आयोग के समय से बात सदा आ रही है कि दक्षिण में, अहिन्दी भाषी प्रान्तों में, कहीं कहीं ऐसे स्कूल, ऐसे कालेज बनने चाहियें जो सिर्फ हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देते हों।

मैं इन थोड़े से शब्दों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूँ और श्रीमाली जी को बधाई देता हूँ कि जाते जाते उनके हाथ से एक और अच्छा काम हो गया।

SHRI M. RUTHNASWAMY (Madras): Madam Deputy Chairman, this Bill is another instance of the bad timing of their legislative or administrative actions of which the Government has shown many examples. Just at a time when in the South a powerful political organisation is about to start an anti-Hindi agitation, this Bill is being presented to the country as an additional argument for this agitation. In addition to the fact that as a matter of ordinary policy the Government of India has been giving financial support towards movements for the propagation of Hindi of which there are a number of instances in this Report of the Ministry of Education for the year 1962-63, this Bill has come up now. For instance, grants-in-aid amounting to Rs. 4,82,000 to voluntary organisations have been given for this purpose. In the case of the appointment of Hindi teachers, the Government bears 100 per cent of the expenditure for the implementation of the scheme. Then with regard to Hindi teachers' training colleges, the Government has given financial assistance to the State Governments of Andhra Pradesh and Maharashtra for the expansion of the existing facilities. And then a grant of Rs. 2,20,000 was given to the Kendriya Hindi

Shikshana Mandals for the training of Hindi teachers and for various other projects. Another sum of Rs. 1,80,000 has been sanctioned for the free supply of books to schools and colleges and public libraries. And then a Hindi-Tamil Primer was prepared and brought out by the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. And finally the Government have formulated a programme of 50 per cent financial assistance to original writings, provided the outlines of the original writings and titles for translations, are approved by Government. And finally there is the provision by the Government of India of a total cost of Rs. 11 lakhs for the production of a Hindi encyclopaedia.

In addition to all these extraordinary items of financial assistance given to one language in India, here the Government proposes in this Bill to give administrative support in the matter of encouraging the study of this language. Many tributes were paid to the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha by Members on the floor of this House, which all go to show that this institution has been doing excellent work for the propagation of Hindi. All this work was the work of a voluntary organisation. Why should Government now step in to give extraordinary assistance to this institution? It is practically being made a governmental institution because it is being provided here in the Bill:

"that the objects of the Sabha shall not be altered, extended or abridged; or the memorandum and the rules and regulations of the Sabha shall not be altered or amended; or the Sabha shall not be dissolved, without the previous approval of the Central Government."

The Bill, according to the Statement of Objects and Reasons appended to it also—

"empowers the Central Government to review the work done by

the Sabha and to give appropriate directions to the Sabha on the basis of the results of such review."

Further, by sub-clauses (5) and (6) of clause 7, it has been provided that:

"The Central Government may address the President of the Sabha with reference to the result of such review or evaluation as disclosed in the report of any committee constituted under sub-section (1), and the President of the Sabha shall communicate to the Central Government the action, if any, taken thereon."

And that

"When the Central Government has, in pursuance of sub-section (5), addressed the President of the Sabha in connection with any matter and the President of the Sabha does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the Central Government in respect thereof, the Central Government may, after allowing the Sabha an opportunity of furnishing explanations or making representations, issue such directions as that Government considers necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the Sabha Shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or in the memorandum or rules and regulations of the Sabha, comply with such directions."

This is really bringing an excellent voluntary organisation under the paralysing influence of the Government. The granting of diplomas and degrees by the Sabha does not require the passing of such a measure as this because universities also have the privilege of granting degrees and diplomas, and as Shri Santhanam pointed out, the other Sammelan—the Hindi Sahitya Sammelan—which was constituted some time back, has been given that power. So, this Bill seeks to bring under the enervating influ-

ence of Government this excellent institution that has been doing such excellent work, according to the reports of the Sabha, for the propagation of Hindi. The result will be that eventual bureaucratisation of this influence and making an upas tree of this influence will affect the propagation of Hindi. What was once a noble mission conducted by disinterested people by voluntary organisation will now come under the influence of Government. Therefore, in the interests of Hindi itself and in the interests of voluntary organisations, I would oppose this Bill and would ask the Government to withdraw it before it is too late.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the VICE CHAIRMAN (SHRI M. GOVTNDA REDDY) in the Chair.

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। फारसी का एक मसला है, देर आयद दुरुस्त आयद। यद्यपि यह विधेयक काफी देर से आया परन्तु फिर भी यह दुरुस्त आया, इसलिये मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता पूज्य बापू ने हमारे देश की राष्ट्रीयता की अभिनव कल्पना की थी। वह कल्पना सर्वांगीण थी। इस देश के विदेशी दासता से मुक्त होने पर इसका क्या भविष्य होगा, इसकी राष्ट्रीयता का क्या स्वरूप होगा, इसकी राजनीति का क्या स्वरूप होगा, इसका आर्थिक स्वरूप क्या होगा,

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

यह सब उन्होंने इस देश के स्वाधीनता आन्दोलन का सूत्रपात करने के साथ साथ मनोकल्पित कर लिया था और इसीलिये, उसको साधने के लिये, उन्होंने चौदह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम रखा था, जिसमें राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रचार एक मुख्य कार्यक्रम था। उनकी कल्पना में कोई संशय नहीं था कि स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय उद्बोधन की और राष्ट्रीय एकता की जो एक भाषा होगी, वह देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी होगी। हिन्दी को उन्होंने इसलिये नहीं सारे देश के कामकाज की भाषा चुना था कि वह इस देश की प्रसिद्ध भाषाओं में सबसे धनी थी, उसमें साहित्य सबसे ऊंचा रहा हो या कोई दूसरी भाषा इस देश की उससे किसी मानी में कम थी, अपितु उन्होंने यह देखा था कि किसी भी स्वाधीन देश में जहां जनतंत्र होगा, जहां हर एक कार्य जनगणना के बहुमत के आधार पर होगा, वहां उस देश में जिसके दो तिहाई जनों की भाषा हिन्दी हो, उसके सिवाय कोई और भाषा चाहे वह कितनी ही उत्तम और समृद्ध क्यों न हो, सारे देश के कामकाज की भाषा आसानी से नहीं हो सकती। भाषाओं का चयन उनकी उत्तमता, उनकी योग्यता से नहीं करते, अपितु, इसलिये करते हैं कि कितने अधिक से अधिक लोग सुगमता से उसको सीखते हैं और उसको बोलते हैं। उसी कल्पना के साथ कांग्रेस के काम में महात्मा गांधी का आन्दोलन आरम्भ होने से ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हो चुका था और उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के द्वारा और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के द्वारा, जिसकी स्थापना का एकमात्र श्रेय उनको था, हिन्दी के प्रचार कार्य को स्वयं उन्होंने ऐसा योग

दिया और यही नहीं कि इन सभी संस्थाओं के वे अध्यक्ष रहे—साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष रह चुके थे, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के भी अध्यक्ष थे और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का भी जन्म उन्हीं के हाथों से हुआ था और उसके भी वे अध्यक्ष थे।

जिस पूज्य और विश्ववन्द्य बापू ने हमारे राष्ट्रीयता की कल्पना की, जिसने स्वाधीनता दिलाई, जिसके रास्ते पर चल कर हमें यह गौरव प्राप्त हुआ कि हमारा देश स्वाधीन हुआ, जिनकी बातों को मानने के लिये हम सदैव जगत में ढिंढोरा पीटते रहे हैं और आज जिसकी समाधि इस दिल्ली नगरी में हो उसकी आत्मा, यदि कहीं वह होगी, तो हमारे भाषा संबंधी विवादों को मुन कर क्या कहती होगी, यह सोच कर मुझे क्षोभ होता है। हमने संविधान में उन सब बातों को समझ कर ही हिन्दी को अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया था परन्तु आज भी इन सदनों में और सारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस बात का विवाद उठाते हैं कि कोई और भाषा हिन्दी का स्थान ले सकती है। मैं उनसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारे सारे देश में जहां कहीं धार्मिक विवाद होता है, वहां हम अपने अपने धर्म ग्रंथों की ओर देखते हैं—मुसलमान लोग कुरान की ओर, हदीस की ओर देखते हैं, ईसाई लोग बाइबिल की ओर देखते हैं और हिन्दू लोग वेदों और शास्त्रों में उसका हल देखते हैं। हम राष्ट्रीयता के पुजारी जिन्होंने बापू के कदमों के नीचे राष्ट्रीयता की दीक्षा ली है, यदि हम उनकी ओर आज नहीं देख सकते हैं, यदि आज हम उनके भाषणों को, लेखों को जो 'हरिजन' में, 'यंग इन्डिया' में, 'नवजीवन' में और अनेक जगहों में यदि हम ढूँढ़ें तो एक पोषा बन जायेगा, उनकी ओर नहीं देखते हैं

तो फिर हम अपने विवादों का हल कैसे निकाल सकते हैं। हिन्दी के सम्बन्ध में उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार कहा फिर भी हम यह विवाद क्यों करते हैं ?

हम अपने देश के समाज का निर्माण जब गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर कर रहे हैं, सारी चीजें उस रास्ते पर कर रहे हैं, सारे संसार में हम उनके नाम का ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं तब फिर आज हम क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने हमको एक राष्ट्र-भाषा दे दी है और वह हिन्दी है और यह दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा उसका एक स्मारक है जिसकी उन्होंने सृष्टि की थी, जिसने पिछले पैंतालीस वर्षों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा-भाषियों में बिना किसी विरोध के, शांतिपूर्वक, हृदय परिवर्तन कर के, मानस परिवर्तन करके, मन और मानस को जीत कर, हिन्दी का प्रचार किया है, जिसके, परिणाम-स्वरूप आज वहाँ ६ हजार केन्द्र परीक्षाओं के हैं, ७,००० प्रचारक हैं और लगभग एक कोटि व्यक्तियों ने उनसे हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया, उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ। इसी तरह राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार सभा, आसाम हिन्दी प्रचार सभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन भी हिन्दी की सेवा कर रहा है।

मान्यवर, मैं यहाँ पर इस विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन करते हुए यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम हिन्दी के समर्थक न हिन्दी फ़ैनेटिक्स हैं न हिन्दी इन्थुजिआस्ट हैं, न हिन्दी शावनिस्ट हैं। हम केवल देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। जो हिन्दी का विरोध करते हैं, वे भी अपना दावा करते हैं कि इस देश की एकता की कल्पना करते हैं, राष्ट्रियता की कल्पना करते हैं। लेकिन हम एक शुद्ध हृदय के भाव से, जिस कल्पना को ले कर गांधी जी के पीछे चल कर हमने

इस देश की राष्ट्रियता का आह्वान किया और आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी शुद्ध भाव से उसी लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, जो गांधी जी ने रखा है। उस राष्ट्रिय एकता की, जिसकी उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के माध्यम से कल्पना की थी, उसको अभी हमें प्राप्त करना बाकी है।

हमें शोभ है कि संविधान में इस बात को स्वीकार करते हुए कि हमारे देश की सार्वदेशिक भाषा हिन्दी होगी, भारत सरकार ने उस ओर उतना प्रयास नहीं किया। दो तरह के प्रयास करने आवश्यक थे। एक तो यह कि हिन्दी का शब्दकोष और हिन्दी का साहित्य इतना ऊँचा उठता कि हिन्दी के बारे में लोगों को आकर्षण होता। दूसरी बात यह कि हिन्दी के बारे में जो विरोध की भावना अनावश्यक फैली हुई है, वह भी नहीं फैलती। हिन्दी किसी के एक्सप्लाइडेशन के लिये नहीं है, यानी किसी वर्ग को जो दूसरे भाषाभाषी हैं, उनको किसी प्रकार इस देश के राजतंत्र में, इस देश के शासन तंत्र में, इस देश की सेवाओं में कम अधिकार प्राप्त हो, किसी प्रकार वे पीछे रहें, ऐसी कोई भावना नहीं है। गांधी जी ने इस देश को कन्याकुमारी से काश्मीर तक और आसाम और कामरूप से कच्छ तक एक बड़ा घर बताया है, और उसमें बसने वाले हम सब एक परिवार हैं, चाहे हम काश्मीर में बसते हैं, चाहे केरल में बसते हैं या कच्छ में बसते हैं . . .

उप सभाध्यक्ष (श्री मुल्लिंग गोविन्द रेड्डी) : विधेयक पर ध्यान दीजिये। बहुत समय नहीं है। ७ लोग और बोलने वाले हैं।

श्री महाबोर प्रसाद शुक्ल : मैं विधेयक पर ही कह रहा हूँ। यह दूसरी बात है कि समय कम हो। लेकिन बात मैं विधेयक की ही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस परिवार में जितने लोग बसते हैं, वे सब एक

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

मां के सगे बेटे हैं। हम में कोई भेद नहीं है। यदि आज केरल और तामिल का ही आदमी हमारा राष्ट्रपति हो, हमारी सर-विसेज में प्रधान हो या हमारी सेवाओं में आगे बढ़े तो कोई उत्तर भारतीय को शोभ नहीं हो सकता। हिन्दी का समर्थन हम इसलिए नहीं करते कि हिन्दी भाषा-भाषी हैं, अपितु, हम राष्ट्रीय एकता की कल्पना में देखते हैं कि कोई भाषा अगर आ सकती है तो हिन्दी है और मैं दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को बधाई देता हूँ कि गांधीजी के बताये हुए रास्ते पर चल कर उन्होंने हिन्दी का प्रचार किया।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उद्देश्यों में तामिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं के प्रचार का भी उद्देश्य है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि जहाँ हिन्दी प्रचार के लिये उनके कार्यों का क्षेत्र केवल दक्षिण के भाषाओं का क्षेत्र है, वहाँ उन भाषाओं का प्रचार करने के लिये भी उनको अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहिये और उत्तर भारत में जहाँ ये भाषायें नहीं बोली जाती हैं, वहाँ उनको अपना केन्द्र बना कर और प्रचारक भेज कर उन भाषाओं को फैलाना चाहिये, जहाँ हम तामिल सीख सकें, जहाँ हम तेलुगु सीख सकें, जहाँ हम मलयालम और कन्नड़ भाषाएँ सीख सकें। इस प्रकार के कार्य के लिये सरकार ने तो इस विधेयक में व्यवस्था नहीं की है—यद्यपि उसकी रोक भी नहीं है,—तथापि आगे जब इस विधेयक द्वारा सरकार इसी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर रही है तो मैं आशा करता हूँ कि सरकार उन को कोष से, धन से, और सब प्रकार से सहायता करेगी ताकि दूसरे उद्देश्यों की भी वे पूर्ति कर सकें और मैं चाहूँगा कि यदि इस प्रचार के लिये उत्तर भारत में केन्द्र बूँटें तो यह राष्ट्रीय एकता की ओर बड़ा प्रच्छा और उत्साहदायक कदम होगा

और संस्था के इस उद्देश्य के बारे में जो संशय हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने रखा है वह नहीं होगा। मैं इस बात का स्वागत करूँगा कि न केवल यह एक संस्था बल्कि इसकी जैसी अनेक संस्थाएँ कायम हों जो उत्तर भारत में और सारे देश में अन्य भाषाओं का भी प्रचार करें—क्योंकि ये जितनी भी चौदह भाषाएँ हैं हमारी मान्य भाषाएँ हैं, उनमें उत्तम साहित्य है, उत्तम भंडार भरा हुआ है—जिससे हमको उन सबका ज्ञान हो सके। परन्तु हमको अपने देश के लिए एक आपसी बातचीत की भाषा होनी ही चाहिये जिसका सारे देश में प्रचार और प्रसार हो।

मान्यवर, मुझे खेद होता है, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं अपने तामिल भाषा-भाषी भाई से तामिल में बात कर सकूँ, तेलुगु में बात कर सकूँ। मारा यह लक्ष्य होना चाहिये कि हम भारतीय भाषा में बात कर सकें। हमें शर्म आनी चाहिये कि हम अपने भाई से बात करने के लिये, अपनी बहिन से बात करने के लिए एक पराई भाषा का प्रयोग करें, जो ६,००० मील से आई है। राजनैतिक दासता से मुक्ति पाने के बाद अभी सांस्कृतिक दासता में यह देश बंधा हुआ है। किसी देश की गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप यह होता है कि विजेता अपनी भाषा के द्वारा उसके मानस को विजित कर लेते हैं। इससे नैतिकता का हास हो जाता है, जिसके कारण वह अपनी खोयी हुई आत्मा को अधिगत नहीं कर सकता।

भारत ने स्वाधीन होने के बाद भी इस पराई भाषा की दासता के कारण अपने गौरव को अपनी खोई हुई आत्मा को अधिगत नहीं किया। यही कारण है कि हमारे यहाँ भाषा के सम्बन्ध में विवाद होते रहते हैं। रूस में, जर्मनी में, चीन में, अन्य देशों में जहाँ अपनी भाषा में ऊँचे से ऊँचा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ भारत में, इतने पुराने देश में, हम इस बात का संशय करते हैं कि हम

पराई भाषा के द्वारा ही ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु इससे हमारे देश को जो क्षति होती है, उस की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सारे देश के हाई स्कूलों और इन्टर एग्जामिनेशन के रिजल्ट को देख लीजिये और उसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजी के कारण हमारे दो तिहाई लड़के फेल हो जाते हैं और जिस की वजह से उन का कोई भविष्य नहीं रह जाता है। कितने प्रतिशत आदमी हमारे देश के और हैं, जो ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं विज्ञान के द्वारा, दो एक प्रतिशत भी देश में नहीं होंगे जबकि देश की १.६ प्रतिशत आबादी अंग्रेजी जानती है। जिसका इतना कम प्रतिशत है और जो ऊँचे से ऊँचा ज्ञान प्राप्त करती है, उसे ही विदेशी भाषा के व्यवहार करने की आवश्यकता है।

हमारे राष्ट्र की सम्मति, हमारे राष्ट्र की शक्ति, हमारे राष्ट्र के जीवन की जो असली शक्ति है, उसका क्षय विदेशी भाषा के द्वारा हो रहा है और हिन्दी भाषा-भाषियों को यदि कोई विरोध है, तो इस विदेशी भाषा की दासता से है। बिना इसकी मुक्ति के देश की मुक्ति नहीं है, देश की आत्मा की मुक्ति नहीं है, देश की सांस्कृतिक मुक्ति नहीं है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार जहाँ हिन्दी प्रचार के लिए इस विधेयक को स्वीकार कर रही है, वही पर अन्य भाषाओं के प्रचार के लिए भी सरकार विधान करे ताकि अंग्रेजी को जल्द से जल्द इस देश के सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगत से विदा करें, वह येरा अनुरोध है।

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक दो सुझाव और देना चाहता हूँ। हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, वे एक और सेवा कर सकते हैं। हमारी सब भाषाओं में से कुछ ऐसे मौलिक शब्द हमको लेने चाहियें, हर विद्यार्थी को सीखना चाहिए, जो शब्द रोज बोलने के काम में आते हैं, जैसे

माँ, बाप, बेटी, रोटी, दाना, पानी है। उनके क्या पर्यायवाची शब्द हैं, यह १४ भाषायें हमारी हैं और हर एक विद्यार्थी इन शब्दों को सीख सकता है। अगर हम इस तरह से १००, २०० शब्द निकाल लें तो हमें सारी भाषाओं को सीखने में कष्ट नहीं होगा और इस समय जैसे संस्कृत को पढ़ने में अमरकोष पढ़ते हैं, अमरकोष में शब्दों के पर्याय दिये हुए हैं, पानी के कितने पर्याय हैं, आग के कितने पर्याय हैं, इसी प्रकार और शब्दों के पर्याय शब्द हैं। इसी प्रकार जो हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाले शब्द हैं, उन के पर्याय का एक छोटा सा कोष तैयार होना चाहिये और उसे सरकार को तैयार कराना चाहिये ताकि आरम्भ से ही हिन्दी सीखने वाला कोई विद्यार्थी तामिलनाडु में जाय तो वह रोटी मांग सके, पानी मांग सके और चीज आसानी से मांग सके और इस प्रकार वहाँ के लोग भी समझ सकें। इस तरह से भाषा का समन्वय होगा और भाषा का विवाद दूर होगा।

मैं समझता हूँ कि भाषा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद संविधान में हिन्दी को स्वीकार करने के बाद रू नहीं गया और हमने संविधान में जिस प्रकार गणतंत्र का जो हमारा मौलिक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बदल नहीं सकते, फ्रान्कामेन्टल राष्ट्र को बदल नहीं सकते, जिस प्रकार की हमने जो व्यवस्था स्वीकार की है, उसको बदल नहीं सकते, उसी प्रकार राष्ट्र भाषा हिन्दी को जो स्थान दिया गया है, उसमें कोई बदलाव की गुंजायश नहीं है। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने जिस उदारता पूर्वक आखिर में आ करके और संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व देने के बाद इस महत्वपूर्ण संस्था को राष्ट्रीय महत्व देने का कदम उठाया है, उसी प्रकार इस संस्था को धन और हर प्रकार से उत्साह देती रहेगी ताकि यह हिन्दी की सेवा दक्षिण में कर सके और

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

साथ ही अपने दूसरे लक्ष्य जो अन्य भाषाओं के प्रचार का है, उसकी सेवा विदेशों में न जा कर अभी इस देश में करें, अन्य भाषा-भाषी क्षेत्रों में, तामिल, मलयालम, कन्नड़, तैलुगु का प्रचार करें।

एक और निवेदन करके मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। अभी हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया है। श्री दिनकर जी ने कहा कि हमको यहां ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि यहां पर जितने संसद के सदस्य हैं, राज्य सभा और लोक सभा के, जो एक दूसरे से मिलते हैं, अन्य भाषा-भाषी होने के कारण केवल अंग्रेजी का सहारा आपस में बातचीत करने के लिए ले लेते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम यहां देश के सामने उदाहरण रखें कि ऐसी भाषाओं को अपने कार्यकाल में सीखें, जिस से हम यह कह सकें कि हमें अपनी भाषा और दूसरी भाषाओं से कोई विरोध नहीं है। ऐसा कोई विधान, ऐसी कोई व्यवस्था यहां करनी चाहिए कि घड़ी आघ घड़ी मिल कर मैं, तैलुगु सीख सकूँ, तामिल सीख सकूँ और हमारे तामिल भाषा-भाषी हिन्दी सीख सकें, उर्दू सीख सकें, बंगाली सीख सकें, मराठी सीख सकें या अन्य भाषाएं सीख सकें और इसमें कोई समय नहीं लगता है, क्योंकि घंटे आघ घंट सभी मिल सकते हैं। इससे एक अच्छी परिस्थिति पैदा होगी, एसी आबोहवा पैदा होगी, जिससे एक दूसरे को भाषा को सीखने के लिए भविष्य में झुकाव पैदा होगा।

जो भाषा सम्बन्धी विवाद है, उसमें मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी के अखबारों ने बड़ी कटुता फैलाई है। तामिल भाषाभाषी जनता जो अंग्रेजी नहीं जानती है, हिन्दी की विरोधी नहीं है, मलयालम भाषा-भाषी जनता जो अंग्रेजी नहीं जानती है, वह हिन्दी की विरोधी नहीं है, बंगला भाषा-भाषी जनता जो अंग्रेजी नहीं जानती है वह हिन्दी की विरोधी

नहीं है, मराठी भाषा-भाषी जनता जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी नहीं है वह भी हिन्दी की विरोधी नहीं है, केवल कुछ अंग्रेजी पढ़ लिखे लोग ही एक ऐसी जात पैदा कर रहे हैं जिसे हिन्दी से विरोध है। जिनका अधिकार छिन्ता है, जिनके हाथ में हमारे सचिवालय का राजतंत्र है, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं और जो दो दो हजार, चार चार हजार तनख्वाह पाते हैं, जिनके हाथों में शिक्षा का नियंत्रण है, जिनके हाथों में शिक्षा मंत्रालय है, वे ही विरोध कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जी माफ करेंगे, वे तो हमारे चुने हुए मंत्री हैं। लेकिन शिक्षा जो हमारे देश की मौलिक चीज है, एकता लाने वाली चीज है, जीवन को ऊंचा बनाने वाली चीज है, उसका सूत्र जिन लोगों के हाथों में है, वे सब अंग्रेजी भाषा के वातावरण में पले हुए हैं। गांधी जी ने अनेक स्थलों में कहा था कि अंग्रेजी को एक क्षण में हटा देना चाहिये। जब तक हम उनकी विचार-धारा से, उनके मस्तिष्क से, हम हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं को देखते हैं, तब तक ये भाषाएँ पिछड़ी रहेंगी। इसलिए इस वक्त हमें सोचना पड़ेगा कि देश की सांस्कृतिक मुक्ति के लिए अंग्रेजी की दासता से अपने को कैसे शीघ्र ही मुक्त करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): There are seven more names on the list of speakers. I would request hon. Members to confine themselves to the provisions of the BUI.

श्री कृष्ण चन्द्र (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, उसके बारे में सभी मान्य सदस्यों ने जिन्होंने अब तक इस बहस में भाग लिया है, भूरि भूरि प्रशंसा और सराहना की है।

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तर प्रदेश) :
सब ने नहीं की ।

श्री कृष्ण चन्द्र : अधिकांश सदस्यों ने इसकी सराहना और प्रशंसा की है । मैं अधिकांश सदस्यों का मतलब यह लगा सकता हूँ कि ऐसे सभी सदस्यों ने जो दक्षिण भारत सभा है, हिन्दी प्रचार सभा है और उसने जो बड़ा भारी काम दक्षिण में हिन्दी प्रचार के लिए किया है, उसकी सभी ने तारीफ की है । मैं उन सभी बातों को न दोहराते हुए उनके साथ अपनी आवाज मिलाना चाहता हूँ ।

जैसाकि अभी माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल का एक तरह से विरोध किया है । मैं यह नहीं समझता था कि ऐसे सीधे सादे बिल के बारे में जिसमें कि कोई विवाद-ग्रस्त विषय नहीं है, उसका कहीं से भी कोई विरोध हो सकता है, यह मुझे अनुमान भी नहीं हो सकता था । तो भी यहाँ पर कहीं से कुछ विरोध हुआ और जिन्होंने विरोध किया उन्होंने यह कहा कि ऐसे अवसर पर जबकि डी० एम० के० अपना प्रचार दक्षिण में कर रहा है सरकार को इस तरह का विधेयक नहीं लाना चाहिये था क्योंकि इससे उन्हें स्फूर्ति मिलेगी ताकि वे अपना काम जोरों के साथ करें और गवर्नमेंट को इस नीति का विरोध करें । मैं समझता हूँ कि ऐसी इस बिल में कोई बात नहीं है । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा जो है वह तो जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उस की स्थापना की थी और उन्हीं की प्रेरणा से उसने इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया था और इतना बड़ा काम, आज हम देखते हैं उसने पूरा किया और जिस की तारीफ हमारे माननीय मंत्री जी ने भी की और अधिकांश सदस्यों ने भी की है । वह भी उन्हीं के आशीर्वाद का फल है क्योंकि

इस सभा को उनका आशीर्वाद प्राप्त था इसलिये पग पग पर वह अपने काम को बराबर बढ़ाती रही । आज हमारे माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को लाकर इस सभा को राष्ट्रीय महत्व दिया है । यह राष्ट्रीय महत्व जैसाकि और माननीय सदस्यों ने भी कहा है उसको बहुत पहिले मिल जाना चाहिये था । लेकिन खैर जैसाकि और लोगों ने कहा, "देर आयद दुस्त आयद", आज यह मिला है तब भी ठीक है ।

श्री के० सन्तानम् ने बोलते हुए यहाँ पर कुछ सुझाव दिये थे और उन सुझावों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान जरूर आकर्षित हुआ होगा । उन्होंने यह कहा था कि जो विधेयक बना है वह बहुत संक्षिप्त बना है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो विधेयक है उस में जिस तरह विस्तार के साथ बहुत सी बातें कही गई हैं, इस विधेयक में उस विस्तार के साथ उन बातों को नहीं दिया गया है । मैं समझता हूँ कि एक तरह से यह अच्छा ही है, बुरा नहीं है । जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक को ला कर सरकार एक तरह से वैधानिक प्रतिबंध इस सभा पर लगा रही है, उन सदस्यों की दृष्टि में यह विधेयक लाना इस सभा के काम पर एक प्रतिबन्ध लगाना है और जितना कम प्रतिबन्ध सरकार लगायेगी उतना ही अच्छा है । हमारे माननीय मंत्री जी ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है और उन्होंने इस के कार्य में जो बड़ा अच्छा कार्य अब तक बराबर यह सभा करती रही है, कोई वैधानिक रुकावट न पड़े, उसके ऊपर कोई वैधानिक नियंत्रण सरकार का न हो, उसको कम से कम करने की कोशिश की है । यह तो माननीय संतानम् साहब ने भी माना है कि कहीं उस को इन कामों के करने में रोक नहीं है और वह बराबर यह काम कर सकती है । मैं तो कुछ और ज्यादा चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जहाँ यह विधेयक लाये हैं और उन्होंने ने यह बड़ा अच्छा काम किया है वहाँ मैं

[श्री कृष्ण चन्द्र]

उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इस सभा को तमाम सहूलियतें तमाम सुविधायें और धन की सहायता देंगे ताकि यह जितना काम अभी तक करती आ रही है उस को और आगे बढ़ा सकें।

इसके साथ साथ जैसाकि संतानम् साहब ने कहा है वह अपने बहुत से स्कूल और कालिज खोले, दक्षिण भारत में। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी के माध्यम से उन स्कूल कालिजों में सब तरह की शिक्षा प्रदान की जाये। मैं तो यह कहूंगा कि आप वहां हिन्दी का माध्यम न रखें। क्योंकि हिन्दी का माध्यम अगर रखेंगे तो एक रुकावट होगी, लोगों को उसका लाभ उठाने में। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि इस सभा को यह आप सुविधा दें, प्रोत्साहन दें, प्रेरणा दें कि वह स्कूल खोले दक्षिण भारत में जिन के अन्दर सारी शिक्षा दी जाये, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की पूरी शिक्षा दी जाये और वह कालिज भी खोले जिसमें उच्च से उच्च शिक्षा, विज्ञान की, साहित्य की, दी जाये। लेकिन साथ ही हर जगह हिन्दो अनिवार्य भाषा के तौर पर हर एक को सीखनी हो। अगर इतना उद्देश्य और ले कर यह सभा अपने काम को आगे बढ़ावे तब तो इस विधेयक का कार्य कुछ सफल होगा और विधेयक का महत्व भी बढ़ेगा। नहीं तो जितना काम सभा अब तक करती आई है वही काम सभा करती जाये और सरकार उस को कुछ और प्रेरणा न दे, कुछ और प्रोत्साहन न दे, कुछ और मदद न दे तो उस से कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने, जैसाकि मुझे याद पड़ता है, अपने भाषण में यह कहा था कि जितनी ग्रांट हम आज तक सभा को देते रहे हैं, विधेयक पास होने के बाद भी उतनी बराबर देते रहेंगे। मैं उनसे यह चाहूंगा

कि उतनी ही नहीं बल्कि विधेयक पास होने के बाद सरकार के ऊपर इस सभा के कार्य को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व पूरे तौर पर आ जाता है और उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सरकार को चाहिये कि इस संस्था को वह ऐसी सुविधायें दें और ऐसी मदद दे जिससे वह वहां पर दक्षिण में स्कूल और कालिज जितने भी वह चाहे खोल सके जहां उच्च से उच्च साहित्य और विज्ञान की शिक्षा दी जाये। लेकिन साथ ही में हर विद्यार्थी को वहां पर हिन्दी भाषा एक अनिवार्य विषय के रूप में सीखनी हो। इस से यह भी लाभ होगा कि जो दक्षिण के विद्यार्थी आज हमारी भारत सरकार की उच्च से उच्च सेवाओं के लिए, आई० ए० एस० के लिये या और सहयोगी जन सेवायें हैं उन के लिये आते हैं और उनके लिये जो हमारे नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि पास होने के बाद उन को हिन्दी में अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी होगी चाहे वह आई० ए० एस० की परीक्षा में पास हो जायें मगर उनको सविस तभी मिलेगी जब वह हिन्दी की कोई परीक्षा अनिवार्य रूप से पास कर लें, इस कठिनाई को पार करने में उनको आसानी रहेगी।

मैं यह कहता हूँ कि इस विधेयक के द्वारा यह सभा अगर स्कूल और कालिज खोलेगी और सरकार उसको मदद देगी तो दक्षिण भारत के लिये यह एक सुविधा होगी कि व स्कूलों और कालिजों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और साथ में हिन्दी भाषा की शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। इस विधेयक के द्वारा आपने और इस पार्लियामेंट ने यह अधिकार इस सभा को दे दिया है, यह मान्यता इस सभा को दे दी है कि जितने भी सर्टीफिकेट प्रमाण पत्र, डिग्री, या डिप्लोमा वह देगी वह सब सरकारी तौर पर मान्य समझे जायेंगे और हर सरकारी नौकरी के लिये वे मान्य होंगे। अगर कोई विद्यार्थी वहां से बी० ए० की डिग्री लेता है या एम० ए० की डिग्री लेता

है तो सरकार उसको हर सर्विस के लिये मान्य समझेगी और इस तरह यह उद्देश्य पूरा हो जाता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थ करता हूँ ।

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष जी, ४५ साल दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने अपना काम काज चलाया और गांधी जी के नेतृत्व में उसका जन्म हुआ । लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान में आज यह प्रवृत्ति चल रही है कि यानि महात्मा गांधी के जो चले हैं उनकी भी मैं बात करता हूँ कि वह भी हिन्दी को बहुत भूल गये । आजकल प्रयास यह हो रहा है कि किसी तरह अंग्रेजी को कायम रखा जाये और उसके लिए कोई आफिशियल लैंग्वेज बिल लाता है तो कोई और बिल लाता है । तो इस तरह का प्रयास चल रहा है । ऐसे वातावरण में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का जो बिल आया है यह कुछ उससे भिन्न है, लेकिन मुझको डर भी लगता है कि शायद यह बिल भी एक चक्कर जो चला है उसी का एक अंग है, क्योंकि जब सरकार दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को अपने अधिकार में लेती है या अपने कब्जे में रखना चाहती है तो जब उसको वह यह मान्यता देती है कि यह राष्ट्रीय महत्व की एक जगह है, एक संस्था है तो साथ साथ उस पर कुछ और प्रतिबन्ध भी लगाती है

3 P.M.

कि इसके कामकाज पर सरकारी कमेटी का नियंत्रण होगा, यानी सरकारी कमेटी आदेश देगी और यदि उन आदेशों का पालन नहीं होगा तो फिर कुछ समय दे कर प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करेंगे और फिर सरकार अपना हस्तक्षेप करगी । तो इसका साफ मतलब यह होता है कि सरकार जो अपनी नीति चला रही है उसके लिये धीरे धीरे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को भी इस्तेमाल में लाया जायगा । मुझे यह डर है क्योंकि सरकार की

ओर से पैसा दिया जायेगा और जो उसके प्रचारक होंगे वे सरकार के सीधे नौकर तो नहीं होंगे लेकिन सरकार से जो पैसा मिलेगा उससे वे नौकरी करेंगे और उसका नतीजा यह होगा कि सरकार का बहुत जबरदस्त हस्तक्षेप इस संस्था पर होगा । फिर भी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा इतने साल से काम कर रही है और उसकी गतिविधि को हमें देखना चाहिये लेकिन क्या इतने साल के बाद भी हम कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिया गया है और क्या हिन्दी प्रचार सभा के जरिये से उसके लिये हमने देश को तैयार किया है ?

हिन्दी प्रचार सभा को तो हम भूल गये, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसी दिन हम इसे भूल गये और आज १५ साल के बाद जब हम उसको कुछ राष्ट्रीय महत्व देने लगे हैं तब उसके साथ साथ कुछ प्रतिबन्ध भी जोड़ रहे हैं, तो यह सब प्रतिबन्ध खत्म होना चाहिये क्योंकि इस तरह से राष्ट्र को एक घातक स्थिति पर ला कर सरकार ने रख दिया है, भाषा के मामले में उसने जो नीति चलाई है उसका एक नतीजा यह हुआ है कि आज हिन्दुस्तान में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके सामने यह सवाल पैदा नहीं हो कि हम हिन्दी में पढ़ें या अंग्रेजी में पढ़ें । एक तरफ तो सरकार हमेशा अंग्रेजी को प्रोत्साहन देती आ रही है और दूसरी तरफ साथ साथ यह भी कहती आ रही है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है । अगर हिन्दी राष्ट्रभाषा है तो १५ साल पहले इसकी कोशिश होनी चाहिये थी कि हिन्दुस्तान में सारा कामकाज हिन्दी में चलाया जाये लेकिन आज १६ साल के बाद हिन्दी का इस्तेमाल भी छोड़ा जा रहा है, हम तो संविधान को प्रतिदिन तोड़ रहे हैं क्योंकि संविधान में कहा गया है कि हिन्दी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिये, यह संविधान का डाइरेक्टिव है, लेकिन उसका इस्तेमाल कम हो रहा है । हम देखते हैं कि उसको तो हम भूल गये हैं और साथ साथ इसकी कोशिश हो

[श्री गोडे मुराहरि]

रही है कि अंग्रेजी को किस तरह कायम रखना है। तो यह जो सारी नीति सरकार ने चलाई है उसका नतीजा यह होगा कि देश भ्रष्ट होगा और उसके भ्रष्ट होने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी इस बेशर्म सरकार पर होगी क्योंकि सरकार ने १६ साल से भाषा की यह नीति चलाई है और राष्ट्र के जो बाल बच्चे हैं उन पर यह अत्याचार किया है, कुछ चन्द लोग जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये अंग्रेजी को कायम रखा है और आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिये ऐसा किया है कि वह भी अंग्रेजी की गुलामी करे। तो इसका सारा दोष इस सरकार पर होगा।

इसलिये जब हम हिन्दी प्रचार सभा के इस बिल के बारे में सोचते हैं तो हमें सरकार की पूरी नीति पर भी विचार करना चाहिये। क्या हिन्दी प्रचार सभा को मान्यता दे कर वह हिन्दी को बढ़ायेगी? मेरा साफ मत है कि वह धोका देने वाली है, एक तरफ तो कहेंगे कि हिन्दी प्रचार सभा को बहुत जोर से चला रहे हैं, उसको राष्ट्रीय महत्व दे रहे हैं और साथ साथ जो सरकार की नीति चल रही है उसको भी उसमें आगे चलायेंगे और अंग्रेजी को प्रोत्साहन देंगे।

तो मेरा कहना है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा बिल से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, यह मैं मानता हूँ कि हिन्दी प्रचार सभा ने काफी मेहनत की है और जो काम उसने किया है वह बहुत प्रशंसनीय है क्योंकि दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा ही सब से पहले हिन्दी का काम शुरू किया और उसके जो बुजुर्ग हैं, जो उसको चलाने वाले हैं उनको मैं बधा देते हैं कि उन्होंने इस काम को चलाया और इतने साल तक इस चीज को चलाते रहे लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी हम यह कहना चाहते हैं कि यह बिल पास कर के, दुनिया को यह कह कर दें कि हम हिन्दी को प्रोत्साहन दे रहे हैं, दक्षिण में

इसको बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इसको राष्ट्रीय महत्व देते हैं, जो धोका देना चाहते हैं उससे कोई धोका खाने वाला नहीं है देश में। आप एक तरह से दक्षिण और उत्तर में झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं, दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में कौन सी भाषा है जो कि हिन्दी से मेल नहीं खाती हो। यह कहना कि दक्षिण में उसका विरोध है या तटीय प्रदेश में उसका विरोध है बिल्कुल झूठा तर्क है क्योंकि कौन से लोग इसका विरोध करते हैं? मध्य-वर्गीय कुछ लाख लोग हैं जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उनका जो कहना है उसको लेकर ही सरकार कहती है कि बड़ा विरोध है। कहां विरोध है? आप किसानों और मजदूरों के पास जाइये और उनसे पूछिये कि क्या कोई विरोध है तो पता चलेगा कि चाहे वह आंध्र प्रदेश का हो, तामिलनाडु का हो, मलयालम भाषी हो, कन्नड़ हो, या कहीं का हो, उससे विरोध नहीं है। कहीं पर इसका विरोध नहीं है। सब चाहते हैं कि हमारी भाषा हो, चाहे वह मराठी हो, तेलगू हो या तामिल हो। जहां तक राष्ट्र भाषा का सवाल है हिन्दी का कोई विरोध नहीं है लेकिन अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ लोगों का जो तर्क है उसको लेकर सारी दुनिया को बतायेंगे कि बड़ा विरोध है। अखबारों में विरोध है और कुछ मध्यम-वर्गीय लोगों का विरोध है जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे खुदगर्ज हैं उनका विरोध है यह मैं मानता हूँ लेकिन जनता का विरोध कहीं नहीं है।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि जब इस तरह का बिल हमारे सामने आता है तब मंत्री महोदय को और सरकार को यह सोचना चाहिये कि क्या यह काफी है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा को राष्ट्रीय महत्व देकर क्या इस सवाल को हम हल कर रहे हैं? इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसमें सरकारी हस्ताक्षेप बढ़ेगा और मुझे यह भी डर

लगता है कि वहाँ जो कुछ प्रयास हो रहा है उसमें भी शायद सरकार कुछ न कुछ दखल दे और उसकी नीति को बदले। इसलिये मैं कना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान का अगर भला चाहते हो, हिन्दुस्तान को अगर ऊँचा उठाना है तो हिन्दुस्तान का काम काज मातृभाषा में चलाना है क्योंकि मैं यह नहीं सोच सकता कि कोई आदमी जिसका मां बाप हिन्दुस्तानी हो वह यह कहे कि किसी अन्य भाषा में हमारा काम काज चले।। यह तो समझ में ही नहीं आ सकता है कि कोई कहे कि इस तरह की चीज हो। तो अगर हिन्दुस्तान को ऊँचा उठाना है तो अपनी मातृभाषा में काम काज चलाना है, अपनी राष्ट्र भाषा में काम काज चलाना है और राष्ट्र भाषा को तरक्की देना है लेकिन अभी तो हम दंग रह गये कि हमारे एक साथी श्री रत्नस्वामी कहते हुए कह गये और इसका विरोध कर गये, हमको तो समझ में ही नहीं आता है कि ये किस दुनिया में रहते हैं।

श्री ए० बी० वाजपेयी : स्वतन्त्र दुनिया में रहते हैं।

श्री गोडे मुराहरि : हाँ, उनकी परम स्वतन्त्र दुनिया है, उनको जनता से कोई वास्ता नहीं है क्यों कि अगर हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि जनता का राज हिन्दुस्तान में हो तो फिर यह लाजमी है कि हम जनता की जवान का राज का कामराज चलायें। जब तक मातृभाषा में, हिन्दुस्तान की भाषाओं में काम-काज नहीं चलाते हैं तब तक जनता उसमें क्या हिस्सा लेगी और सरकार में क्या दिलचस्पी लेगी। जनता की सरकार है तो जनता की बोली में सब काम काज होता है। तो जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा बिल हमारे सामने है तब जो भाषा नीति है इसकी ओर भी सरकार का ध्यान खींचना चाहिये। इन शब्दों के साथ न तो मैं इसका समर्थन करता हूँ और न इसका विरोध करता हूँ क्यों कि मझे डर है कि जितने भी प्राविजंश

इसमें हैं वे आखीर में जा कर के दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का खात्मा करेंगे।

DR. M. M. S. SIDDHU (Uttar Pradesh): What a confusion.

SHRI AKBAR ALI KHAN; Mr. Vice-Chairman, as some of my friends are anxious that I should speak in whatever little Hindi I know, with your permission I will speak in a language other than English.

مسٹر وانکس چھرمین - اس مسئلہ پر سب سے پہلی چیز جو میں اس سदन کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بزرگ اور بابائے قوم نے ۱۹۱۸ء میں یہ سوچا کہ مہرہ دیس کے لئے ایک زبان ہونی چاہیئے اور وہ زبان ہندی ہو سکتی ہے اس کے چرنوں میں اچھے شکرہ کے جذبات کو پیس کرنا چاہتا ہوں۔

دوسری چیز جو اس بزرگ نے بتلائی وہ یہ تھی کہ اگر ہندی کے سچے پریمی ہو تو نارہ اندیا میں ہندی کی نہ سوچو بلکہ جنوبی ہندوستان میں جائو اور وہاں جا کر خدمت کرو۔

جذاب والا - میں عرض کروں گا کہ آج ہم یہ دونوں چیزوں کو بھول رہے ہیں اور جو میری مصیبت ہے یا جو ایسے لوگوں کی مصیبت ہے جو اپنی جلتا کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہندی کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہندی

[شری اکبر علی خاں]

کے ایسے لوگ ہیں جن کو کہ
فیلہٹکس کہا جا سکتا ہے اور جو
ایسے لوگ ہیں جو کہ ہندی کی
دشمنی میں مومنت چلانا چاہتے
ہیں ان دو مصہبتوں کے بیچ میں
ہماری جان ہے - "between the devil
and the deep sea" تو میں نہایت
ادب سے عرض کروں گا کہ حکومت نے
بھی ہماری مدد جیسے کرنی چاہئے
تھی ویسے نہیں کی - آپ اس کو
سوچئے کہ اگر واقعی آپ ہندی کو
وہاں چلانا چاہتے ہیں تو کیا شام
اور حکومت کے ذریعہ یا قانون کے
دباؤ کے ذریعہ چلائیں گے یا پرہم اور
مصہبت کے ذریعہ - آپ فیصلہ کیجئے۔
یہ فیصلہ کرنا ہے آج ان لوگوں کو جو
اس کے ذمہ دار ہیں - میں حکومت
ہند سے کہہ رہا ہوں - ڈاکٹر شریمالی
سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیجئے
کہ کس طرح چلائیں گے -

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa):
Nationalisation.

شری اکبر علی خاں : سہرا عرض

کرنا یہ ہے کہ وہ چڑیہں جن سے کہ
پبلک کو سہولت ہوتی ہے ان کو
دیکھئے - سہاتا جی کی خدمات میں
آپ نے ہدیہ تشکر بھیجی تھا - میں
کہتا ہوں ان لوگوں نے جنہوں نے ہندی
کے لئے خدمات پیش کیں ان میں
سے ایک فقیر اور سادھو ہمارا جو

پریذیڈنٹ تھا گذر گیا سہرا مطلب
راجندر بابو سے ہے - آج بھی
ایک فقیر اور سادھو منسٹر لال
بہادر شاستری ہیں جو ریٹائر ہوئے
والا ہے اس نے بھی خدمت کی ہے -
اور مجھے خوشی ہے کہ راجہ جی نے
بھی اس کی خدمات کیں - مجھے
خوشی ہے کہ دکھین کے بڑے بڑے
لہذروں نے سب نے اس کی خدمت
کی ہے ، گویا دیندی نے کی ہے نیچ
لہنگیا نے کی ہے رام کرشنا راؤ نے
کی ہے - اس کو بڑھانا اس کو سہولت
دینا اس کے پرچار کو میں اضافہ کرنا
اس کے جو مقاصد ہیں ان کو بڑھانے
کے لئے آپ سوچتے آپ غور کرتے آپ
اس کے لئے کوئی تجاویز لاتے بیجائے
اس کے کہ ابھی ہمارے پروفیسر ڈاکٹر
نے کہا کہ بھائی انگریزی چونکہ روزگار
کا ذریعہ تھا اس لئے سب لوگ
سکھتے تھے لہکن کتنے دنوں میں -
میں جانتا ہوں میں اس سے پہلے
بھی ایک بار اور عرض کر چکا ہوں
کہ جب میرے والد انگریزی سکھانے
لگے تو دادا کو معلوم ہوا کہ وہ
انگریزی سکھ رہا ہے تو بلا کر پوچھا
کہ کوا کرتا ہے ؟ وہ انگریزی سکھانے
جاتا ہوں - وہ بولے وہ تو انگریزی
سکھانے جاتا ہے تو کافر ہے - انہوں
نے کہا وہ قصور ہوا اب نہیں سکھوں
گا - جناب والا - میں یہ عرض

کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے چار بھتیوں
میں سے تین بھتیوں نے انگلستان
میں تعلیم حاصل کی - کچھ یہ
وقت کا تقاضہ ہے اور آپ اس کے لئے
انوائرنڈمنٹ پیدا کیجئے - میں نہایت
ادب سے معافی چاہتے ہوئے کہتا ہوں
کہ ہندی اور اردو میں لکھاوت میں
ہی تو فرق ہے - اب میں اپنی
زبان میں فارسی کے الفاظ رکھوں
اور میرے بھائی اٹل بھاری اس میں
سبسکریٹ کے الفاظ رکھ دیں لیکن وہ
وہ ایک ہی چیز - میں آپ کو مثال
دیتا ہوں (Interruption)۔
جو جب حیدرآباد میں تھریف
لئے تھے تو جب وہ ایک جگہ تقریر
کر رہے تھے کہ کسی نے ان کو چھوڑا
کہ آپ کو تو اردو نہیں آتی - یہ تو
مانئے انہوں نے ایسی تقریر کی کہ
میں نے ایسی تقریر نہیں سنی -
میرا عرض کرنا ہے کہ اصلی زبان
ہے کہ اگر آپ چن چن کر اردو کے
الفاظ نکالیں تو اردو کے پریمی کو
ہندی سے کیسے پریم پیدا ہوگا -
اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ
زبانوں کو یہ نہ سمجھئے گا کہ اپنی
زبانوں میں تو ان میں ایک قسم
کی بغاوت ہے ریولٹ پیدا ہوتی ہے -
تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
پروفیسر رتنا سوامی جی جس اسکول
کو ریپریزینٹ کرتے ہیں میں اس سے
بالکل متفق نہیں ہوں -

I do not agree with your view. But you do
represent a certain purpose, a certain school of
thought, ^yio ^f My friend, the, hon. Shri
Murahari who preceded me

یعنی انریبل مراہری

صاحب وہ تو ایک عجیب دنیا کو
ریپریزینٹ کرتے ہیں اور میں انہیں
سمجھنے سے قاصر ہوں -

میں قانگڑو شریالی کو اس بات
کی مبارک باد دیتا ہوں کہ انہوں
نے یہ بل لکھ کر اس دکن کی ایک
سلسلہ نے جو خدمات کی ہیں
انہیں ریگنڈائز کیا - لیکن مجھ کو
ان سے گلہ ہے، شکیت ہے، کہ انہوں
نے اس کو ریگنڈائز کرنے میں بڑی
تیزی کی اور دوسرے یہ کہ میرے
محترم مسٹر صاحب نے جہاں
ساتھہ اکادمی کو اختیارات دئے اور
اس کے لئے پراویزن کیا کہ ان کو کئی
طرح کی پاور اور اتھارٹی دینی چاہئے
تو پھر دکنی بھارت کی سلسلہ نے
کہا خطا کی تھی؟ کہوں نہیں وہی
پراویزنس جو ساتھہ اکادمی میں
ہیں دکن کی اس پرچار سبھا میں
ان کو رکھا گیا -

श्री ए० बी० वाचपंथी : साहित्य सम्मेलन
में है, अकाडमी में नहीं।

شری اکبر علی خاں : میں یہ

عرض کرتا ہوں کہ اس کو بھی وہ
درجہ کہوں نہ دیا جائے - ایک میرے

[شری اکبر علی خاں]

دوسرے ستیہ نارائن یہاں نہیں ہیں
آج میں ان کو ان کی خدمات کے
لئے ہاؤس میں سب کی طرف سے
مہارکیاد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں
نے اپنا جیون اس سبھا کے کام میں
لگا دیا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا
کہ آپ مسکھت کی فضا پیدا کریں۔
پریم سے اس کام کو کریں بجائے اس
کے کہ ہر ایک سے لڑیں ہر ایک کو
کہیں کہ فوراً کرو۔ جب کبھی فوراً
اور جلدی کرنے کی بات آپ کریں گے

You will be doing a disservice to Hindi.
Leave things to proceed according to nature
and I have no doubt that within the course of
20 years everybody will be a Hindi premi and
our Dakshini friends will compete with our
northern friends and I have no doubt that in
many cases we will succeed.

آج میری بچی میری نواسی تھیں
اور ہندی میں اپنی کلاس میں
فہرست ہے۔ لیکن آپ بڑھے طبقوں
سے کہیں گے کہ تم پڑھو گورنمنٹ
سورنٹ سے کہیں گے کہ تم پڑھو
ایسا نہیں کرتے ہو تو گریڈ دے گا۔
تو وہ تو ایک روزگار کا معاملہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی اس کا
تصفیہ کرو۔ تو یہ چھوٹی ایسی
ہیں کہ ٹائم کی ضرورت ہے مسکھت
کی ضرورت ہے اچھا فیصلہ کرنے کی
ضرورت ہے۔ مسکھت یقیناً ہے کہ اس
سے بہت بہتر صورت پیدا ہوگی۔
میں اس بل کی تائید کرتا ہوں اور

میں اس پر رکتا ہوں کہ آپ
انسٹرکشن چھوڑ جائیں گے کہ
بہت جلد اس میں ایسی ترمیم
لائی جائے جس کے ذریعہ اس میں
وہ پارر وہ پریولینجز دیئے جائیں جو
کہ ساتھ میں ہندی کو زیادہ سہولتیں
دینے کے لئے ضروری ہیں۔ نارٹہ میں
ہندی کو سہولت دینے کی کہا
ضرورت ہے؟ آپ خوش ہوں گے کہ
ہم نے حیدرآباد میں ہندی مہڈیم
آف انسٹرکشن کے ساتھ ایک کالج
استارت کیا ہے اور اس سال ایک
اردو کالج بھی استارت کر رہے ہیں
اور مجھے فخر ہے۔

I take pride in this that the relations
between the Hindi-speaking people, the
Telugu-speaking people and the Urdu-
speaking people are most cordial and these
sansthas and organisations are trying to help
and co-operate with each other. That is the
position that we have created there.
Hyderabad has been in many things a very
backward place. I admit that so far as this
atmosphere of love and affection, ox
communal harmony and of the unity of
language is concerned, I take piide that
Hyderabad is second to none-

With these words, I support the Bill.

[SHRI AKBAR ALI KHAN: Mr. Vice-
Chairman, as some of my friends are anxious
that I should speak in whatever little Hindi I
know, with your permission I will speak in
language other than English.

मिस्टर वाइस चेयरमैन, इस मसले
पर सबसे पहली चीज जो मैं इस सदन के
सामने अर्ज करना चाहता हूँ वह यह है कि जिस

[] Hindi transliteration

बुजुर्ग और बाबाय कौम ने १९१८ ईसवी में यह सोचा कि मेरे देश के लिये एक जुवान होनी चाहिये और वह जुवान हिन्दी हो सकते हैं उसके चरणों में अपने श्रुक्रिया के जज्बात को पेश करना चाहता हूँ ।

दूसरी चीज उस बुजुर्ग ने बतलाई वह यह थी कि अगर हिन्दी के सच्चे प्रेमी हो तो नोर्थ इंडिया में हिन्दी की न सोचो बल्कि जनूबी हिन्दुस्तान में जाओ और वहाँ जाकर खिदमत करो ।

जनाबवाला, मैं अर्ज करूंगा कि आज हम यह दोनों चीजों को भूल रहें हैं और जो मेरी मुसीबत है या जो ऐसे लोगों की मुसीबत है जो अपनी जनता को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं हिन्दी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह जो हिन्दी के ऐसे लोग हैं जिनको कि फेनेटिक्स का जा सकता है और जो ऐसे लोग हैं जो कि हिन्दी के दुश्मनी में भूबमेंट चलाना चाहते हैं इन दो मुसीबतों के बीच में हमारी जान है, "between the devil and the deep sea" तो मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि हुकूमत ने हमारी मदद जैसे करनी चाहिये थी वैसे नहीं की । आप इसको सोचिये कि अगर वाकई ही आप हिन्दी को वहाँ चलाना चाहते हैं तो क्या शासन और हुकूमत के जरिये या कानून के दबाव के जरिये चलायेंगे या प्रेम और मुहब्बत के जरिये । आप फैसला कीजिये । यह फैसला करना है आज उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं । मैं हुकूमते हिन्द से कह रहा हूँ । डा० श्रीमाली से कह रहा हूँ कि यह फैसला कीजिये कि किस तरह चलायेंगे ।

Shri LOKANATH MISRA (Orissa):
Nationalisation.

श्री अकबर अली खान : मेरा अर्ज करना यह है कि वह चीजें जिनसे कि पब्लिक को

सहूलियत रहती है उनको देखिए । महात्माजी को खिदमात में आपने हृदिया तस्कर पेश किया । मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने जिन्होंने हिन्दी के लिए खिदमात पेश कीं उनमें से एक फकीर और साधू हमारा जो प्रैजिडेन्ट था गुजर गया, मेरा मतलब राजेन्द्र बाबू से है । आज भी एक फकीर और साधू मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री है जो रिटायर होने वाला है उस ने भी खिदमत की है । और मुझे खुशी है कि राजाजी ने भी उसकी खिदमात की । मुझे खुशी है कि दक्षिण के बड़े बड़े लीडरों ने, सब ने उसकी खिदमात की है । गोपाला रेड्डी ने की है, निर्जलिंगप्पा ने की है, रामा कृष्णा राव ने की है । इस को बढ़ाना, इस को सहूलियत देना, इस के प्रचारकों में इजाफा करना, इस के जो मकासद हैं उन को बढ़ाने के लिए आप सोचते, आप गौर करते, आप इस के लिए कोई तज्वावीज लाते बजाय इस के कि अभी हमारे प्रो० दिनकर ने कहा कि भाई अंग्रेजी चूँकि रोजगार का जरिया था इसलिए सब लोग सीखते थे लेकिन कितने दिनों में । मैं जानता हूँ मैं इससे पहले भी एक बार और अर्ज कर चुका हूँ कि जब मेरे वालिद अंग्रेजी सीखने लगे तो दादा को मालूम हुआ कि वह अंग्रेजी सीख रहा है तो बुलाकर पूछा कि क्या करता है ? "अंग्रेजी सीखने जाता हूँ" वह बोले । "तू अंग्रेजी सीखने जाता है तू काफिर है" । उन्होंने कहा—"कसूर हुआ अब नहीं सीखूंगा ।" तो जानाब वाला, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि उन के चार बेटों में से तीन बेटों ने इंगलिस्तान में तालीम हासिल की । कुछ यह वक्त का तकाजा है और आप इसके लिए एनवार्यनमेंट पैदा कीजिये । मैं निहायत अदब से मुआफ़ी चाहते हुए कहता हूँ कि हिन्दी और उर्दू में लिखावट में ही तो फर्क है । अब मैं अपनी जुबान में फारसी के इल्फाज रख दूँ और मेरे भाई अटल बिहारी इसमें संस्कृत के इल्फाज रख दें लेकिन है वह एक ही चीज । मैं आप को मिसाल देता हूँ :-

(interruption)

[श्री अकबर अली खान]

टन्डन जी जब हैदराबाद में तशरीफ लाये थे तो जब वह एक जगह तकरीर कर रहे थे कि किसी ने उनको छेड़ा कि आपको तो उर्दू नहीं आती। यकीन मानिये उन्होंने ऐसी तकरीर की कि मैंने ऐसी तकरीर नहीं सुनी। तो मेरा अर्थ करना है कि असली चीज यह है कि अगर आप चुन चुन कर उर्दू के अल्फाज निकालें तो उर्दू के प्रेमी को हिन्दी से कैसे प्रेम पैदा होगा। इसी तरह से अगर आप दक्षिण की जुवानों को यह न समझियेगा कि अपनी जुवानें हैं तो उनमें एक किस्म की बगावत रिबोल्ट पैदा होती है। तो मैं अर्थ करना चाहता हूँ कि प्रो० रत्ना-स्वामी जिस स्कूल को रिपरेजेंट करते हैं, मैं उससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ।

I do not agree with your view. But you do represent a certain purpose, a certain school of thought. My friend, the hon. Shri Murahari who preceded

me इसी तरह यानि आनरेबल मुराहरि साहेब वह तो एक अजीब दुनिया को रिपरेजेंट करते हैं और मैं उन्हें समझने से कासिर हूँ।

मैं डा० माली को इस बात की मुबारिकबाद देता हूँ कि उन्होंने यह बिल ला कर इस दक्षिण की एक संस्था ने जो खिदमात की हैं उन्हें रिकोगनाइज किया। लेकिन मुझको उन से गिला है, शिकायत है, कि उन्होंने इसको रिकोगनाइज करने में बड़ी देर की और दूसरे यह कि मेरे मोहतरिम मिनिस्टर साहब ने जहां साहित्य एकाडमी को अख्तयारात दिये और इसके लिए प्रोवीजन किया कि उनको कई तरह की पावर और ओथोरिटी देनी चाहिए तो फिर दक्षिणी भारत की संस्था ने क्या खता की थी? क्यों नहीं वही प्रोवीजन्स जो साहित्य एकाडमी में हैं दक्षिण की इस प्रचार सभा में उनको रखा गया।

श्री ए० बी० बाजपेयी : साहित्य सम्मेलन में है, एकाडमी में नहीं।

श्री अकबर अली खान : मैं यह अर्थ करता हूँ कि इसको भी वह दर्जा क्यों न दिया जाये। एक मेरे दोस्त सत्यानारायण यहां नहीं हैं। आज मैं उनको उनकी खिदमात के लिए हाऊस में सब की तरफ से मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन इस सभा के काम में लगा दिया। तो मैं आपसे कह रहा था कि आप मुहब्बत की फिजा पैदा करें। प्रेम से इस काम को करें बजाय इसके कि हर एक से लड़ें, हर एक को कहें कि फौरन करो। जब कभी फौरन और जल्दी करने की बात आप करेंगे।

You will be doing a disservice to Hindi. Leave things to proceed according to nature and I have no doubt that within the course of 20 years everybody will be a Hindi premi and our Dakshini friends will compete with our northern friends and I have no doubt that in many cases we will succeed.

आज मेरी बच्ची, मेरी नवासी, तेलुगु और हिन्दी में अपनी क्लास में फस्ट है। लेकिन आप बूढ़े तोतों से कहेंगे कि तुम पढ़ो, गवर्नमेंट सर्वेड्स से कहेंगे कि तुम पढ़ो, ऐसा नहीं करते हो तो ग्रेड रुकेगा। तो वह एक रोजगार का मामला है। वह कहते हैं कि पहले से ही इस का तसफीया करो। तो यह चीजें ऐसी हैं कि टाइम की जरूरत है मुहब्बत की जरूरत है अच्छा फैसला करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि इस से बहुत बेहतर सूरत पैदा होगी। मैं इस बिल की तार्ईद करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन्सट्रक्शन छोड़ जायेंगे कि बहुत जल्द इसमें ऐसी तरमीम लाई जाये जिसके जरिये इस में वह पावर, वह प्रिविलेजिज दिये जायें जो कि साऊथ में हिन्दी को ज्यादा सहायित देने के लिये जरूरी हैं। नौर्य में हिन्दी को सहायित देने की क्या जरूरत है? आप खुश होंगे कि हमने हैदराबाद में हिन्दी मीडियम आफ इन्सट्रक्शन के साथ एक कालेज स्टार्ट किया है और इस साल एक उर्दू कालेज भी स्टार्ट कर रहे हैं और मुझे फका है।

I take pride in this that the relations between the Hindi-speaking people, the Telugu-speaking people and the Urdu-speaking people are most cordial and these *sansthas* and organisations are trying to help and co-operate with each other. That is the position that we have created there. Hyderabad has been in many things a very backward place. I admit that so far as this atmosphere of love and affection, of communal harmony and of the unity of language is concerned, I take pride that Hyderabad is second to none.

With these words, I support the Bill.

SHRI N. VENKATESWARA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, during the last six or seven years, Dr. K. L. Shrimali has ably piloted many Bills through this House. As he has been called for equally important and vital work elsewhere, this, I think, is going to be the last measure which he, as Education Minister, would be bringing before us. I would, therefore, like to take this occasion to pay my sincere tribute for all that he has done during his term of office for the cause of national education.

Dr. Shrimali has been holding part of a portfolio—a major part—which was held earlier by that eminent leader and elder statesman, the late Maulana Azad. It is no easy task to fill an office originally held by such a towering personality. And yet, Dr. Shrimali has served the cause of national education very well indeed by his honesty of purpose and devotion to duty. His academic distinction, his wide culture and, above all, his sterling character have enabled him to fill a difficult role with credit. Of all his fine qualities, I have been most fascinated by his gentleness.

During the past five and a half years of my membership of this House, never once have I seen him lose his equanimity of temper. He meets even the worst provocation with a sweet,

disarming smile. Though innately gentle, he is firm when a question of principle is involved. His very gentleness in his approach to people gives him a strength of will to stick unflinchingly to basic principles and moral values. Whatever may be his field of future work, he would, I am sure, further the welfare of the nation and of the people.

Now, Sir, coming to the Bill proper, I heartily support it. The Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha has been an institution of national importance for many, many decades now and it is but proper that it should be recognised as such by the national Government. It is one of the premier institutions which has done its best to further the cause of national unity and integration.

Many hon. friends here have mentioned, in the course of their speeches, that Gandhiji was the founder of this institution. But I do not think that any one mentioned that Gandhiji attached so much importance to this work that he sent out his own *son*, Shri Devadas, as the first Hindi Pra-charak to the city of Madras.

This institution, as was pointed out by the hon. Minister while he was moving this Bill, has so far given education in Hindi to as many as 7 million people. It has today, 7,000 Hindi Pracharaks. And, as was pointed out by the Minister himself, it has adequate income to be self-sufficient. But a time may come, and that too very soon, when it may not be able to carry on either its present work or be self-sufficient as far as its financial resources are concerned because most of its income is at present drawn either from the publication of text books or from examination fees. In all the Southern States, except of course Madras, Hindi is now made compulsory in schools. And so the number of candidates that would appear hereafter for the examinations of the Sabha would progressively dwindle. A stage would, therefore,

[Shri N. Venkateswara Rao.] come when many candidates would not be forthcoming for such examinations as Prathamik or Madhyam etc. They would appear for such examinations in the regular educational institutions. Therefore, it would, I think, be in the interests of the Sabha that steps are taken to see that it is soon converted into a centre for higher studies in Hindi.

I know, Sir, that some time back there was a move on the part of the Central Government to take over the Osmania University and to convert it into a Hindi University for the South. For our own reasons we were opposed to this move. We were opposed to it because we have only three universities now in Andhra Pradesh and each is serving a distinct geographical unit. For the Circars area we have the Andhra University, for the Rayalaseema area the Sri Venkateswara University and for the Telengana area the Osmania University. And so we felt that we could not hand over to the Centre our Osmania University. But we are all for the establishment of a Hindi University in the South. I think, Sir, the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha could be easily converted, with its rich resources and its vast organisation, into a Hindi University. So I plead, Sir, that steps should be taken, if not immediately, at least in the course of the next two or three years to convert the Sabha into a Hindi University where higher studies in Hindi could be taken up, where doctorates could be awarded. At the same time this University should be able to establish Chairs for the other north Indian languages like Bengali, Gujarati and Marathi so that the people in the South could become familiar with these languages and their literatures.

Moreover, Sir, I feel that when all of us are anxious that Hindi should develop as a potent national language, as the official language of the Indian Union or, as the Prime Minister has aptly put it, as a 'link language',

it is essential that in developing it, full co-operation of the Southern people should be enlisted. We, the people of the South should also play our part in developing Hindi. We believe that we too have something to contribute for its growth. For enabling us to contribute our share in this important matter the conversion of the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha into a Hindi University would be very helpful indeed.

Recently, Sir, I made a suggestion in my daily news paper that certain mental allergy to Hindi in certain sections of the people in the non-Hindi-speaking areas could perhaps be removed if we could rename it as 'Bharati'. The non-Hindi-speaking people may then come to feel that we are having an altogether new national language. The Hindi people, I feel, should have no objection to this suggestion.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh): He has no objection.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Kerala): Why so much prejudice against the very word 'Hindi'?

SHRI N. VENKATESWARA RAO: Any mental allergy to Hindi can be effectively removed, I beg to repeat, by giving it the new name, "Bharati." Moreover, when the language of Japan is Japanese, when the language of France is French, and when the language of Germany is German, why should not the language of Bharat be Bharati? That, I think, is a suggestion which is well worth considering and I hope my Hindi friends will take it up with enthusiasm.

SHRIMATI ANIS KIDWAI (Uttar Pradesh): Why not Hindustani?

SHRI N. VENKATESWARA RAO: Because our Hindi friends themselves would not agree to it. Sir, when Gandhiji tried to call our national language 'Hindustani', there was a lot

of opposition from the Hindi-speaking people saying that Hindustani is a mixture of Hk 1-Urdu, Arabic, Persian etc., that it is an odd mixture of many languages. There was thus much trouble about the adoption of the name of Hindustani. 'Bharati' is a new word and I think it should be welcomed by all.

With these words, Sir, I heartily support the Bill.

شری عبدالغنی (پنجاب) : والس

چند مہینے صاحب - میں جب سن رہا تھا اکبر علی خاں صاحب کو مورہاوی کے جواب میں تو مجھے ہلسی آئی کہ۔

عمر تو ساری کٹی مہتی بھیاں میں موسم آخری وقت میں کھا خاک مسلمان ہونگے جس کو برطانوی دیویوں نے لورہاں دی ہوں جس کے اتالیقی برطانیہ کے لوگ ہوں جس کی زندگی کا ہر شعبہ انگریزی کے ساتھ منہی ہو وہ سرکار کا مالک ہندسی کو پہچانے اسی جوش کے ساتھ جس جوش کے ساتھ وہ بچتے ، جس بچتے کو بھارتی ماں نے لورہاں دی ہوں بھارتی تہذیبوں نے ودھیا دی ہو اتنا جوش پیدا ہو جائے ناممکن ہے وائس چھو مہین صاحب - میں یہ عرض کیوں کرتا ہوں؟ مجھے اس سدن میں آئے تقریباً دس مہینے ہوئے ہیں - دکھائی بھائیوں کی مہذبوروں کو میں سمجھ سکتا ہوں - لیکن انگریزی بولنا میری سمجھ میں آسکتا ہے لیکن یہاں آپ جانتے

457 RSD.—6

میں کہ ۷۵ فی صدی اسپیکرز تمام کی تمام اسی زبان میں ہوتی ہیں جس زبان کو اس ملک کے سب سے بڑے نہتا پیار کرتے ہیں - اس میں دکھن اور اتر کا کوئی سوال نہیں ہے اتر والے زیادہ شدہ انگریزی بولتے ہیں بمقابلہ دکھن والوں کے - دیہی پتا مہنتا گاندھی چونکہ دور بہن بہت تھے اس لئے وہ جانتے تھے کہ وہ دیہی کھا جس کی اپنی بولی نہ ہو وہ کوئی دیہی دیہی ہے جس کی کوئی اپنی بولی نہیں ہے اور وہ کھونکر ہو سکتی ہے جب تک کہ تیلگو اور ملہالم جاننے والے کلاڑی جاننے والے تامل جاننے والے اس سے آشنا نہ ہوں - یہ دیہی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کی تقریباً ۱۵ کروڑ یا اس سے بھی زائد آبادی ہے اور جب تک وہ ہمارا ساتھ نہ دے ہمارا دیہی کھسے ایک ہے اور ہمارے دیہی کی بولی کھسے ایلٹائی جاسکتی ہے اور کھونکر ہم بھی مانگ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا دیہی ہے ہماری اپنی زبان ہے - سولہ برس میں کھرب ہا روپیہ کا قرض دار ہمیں بلایا اس سرکار نے اور ہمارے محبوب نہتا نے اور ہماری بڑی بڑی یوجنائیں ہمیں لیکن ان سولہ برسوں میں ہم ہندسی کو کٹنا اپنا سکے - اور آج بھی اکبر علی خاں صاحب کو بڑی دقت آرہی تھی - حالانکہ وہ

[شری عبدالغنی]

ایلی زبان پر قادر ہیں لیکن قبل اس کے کہ وہ ایلی بات کہل کر کہیں کہتے کہتے پھر ان کو انگریزی یاد آجاتی تھی اور انگریزی میں بولنے لگتے تھے ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب ایسا وقت آگیا ہے جب یہ بھول بھلیاں اور اس طرح کی شعبدہ بازی نہیں چلے گی۔ ویسے ان کی تھیلی میں کافی ہتھیار ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی نہا ہتھیار لا کر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح آج وہ یہ دکھائی بھارت پرچار سبھا کو لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ۳۵ برس میں ۶ ہزار سہتر کپے ۷ ہزار ان کے پرچارک بنے اور ۷۰ لاکھ بھائیوں نے ہندی سیکھی لیکن مجھے تو یہاں ایسا ساؤتھ کا ایک بھی دکھائی نہیں دیتا ہے جو ہندی میں اچھی تقریر تو کیا توٹی پھوٹی ہی تقریر کرتا ہو۔ مجھے رنج یہ ہے (Interruption) آپ یہ کہیں کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ہو گئے ہیں آپ کے ہو گئے ہیں اور یہ کہاں رہے ساؤتھ کے۔ میری عرض سنئے تاکہ میں ایلی بات کہہ پاؤں۔

مجھے رنج یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبدالغنی کمونسٹوں پر بہت ہرستا ہے اور اچھی طرح

ہرستا ہے لیکن ہمیں لطف نہیں آتا کہوں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ کوئی نہ بولے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کہا ان ۷۰ لاکھ میں سے ایک بھی بھائی نہیں ایسا نہیں ہے جو یہاں آیا ہو۔ اس کے معنی کہ ہندی غریبوں نے سیکھی۔ ہندی سیکھی مدراس میں ہندی سیکھی مہسور میں۔۔۔

एक माननीय सदस्य : यह खूब हिन्दी बोलते हैं।

شری عبدالغنی : ارے الہ ماشا اللہ تو ہر جگہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سب کے سب ایسے ہی ہیں۔

شری اے۔ ایم۔ طارق (جموں و کشمیر) : الہ ادھر ہے ماشا اللہ ادھر ہے۔

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI M. GOVINDA REDDY) : Hon. Members have to lend their ears to Shri Ghani, not make comments.

شری عبدالغنی : میں وائس چیئر میں صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ اگر میں چیف منسٹر پنجاب کی نندا کرتا ہوں تو تعریف بھی کرتا ہوں۔ ددخدا صفا و دع ما کدرے؟ اچھی چیز لے لو بری چیز چیز دو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ماسٹر تارا سنگھ اور اکالی پنجاب میں انصاف کو

سانہ والوں سے ہمت کر کے یہ کہا جائے کہ جب تک ساؤتھ والے پوری طرح تیار نہیں ہیں تب تک تیلگو میں بھی ریکارڈ رکھیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی بات کو ترقی دی جائے تو وہ اس کو ترقی دے کر رکھتے ہیں آپ مغل پیریڈ ہی نہیں اس سے پہلے کے پیریڈ کو دیکھئے کہ کتنے بڑے بڑے شاعر اس پر خسرو جھسے ہندی کے ہوئے ہیں۔ عبدالرحیم خان خانان ہندی کے ایک بہترین شاعر ہوئے ہیں۔ میں دسیوں کے نام لے سکتا ہوں لیکن اس تاریخ کو دھرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہندوستان کی زبان ہندی ہے اس لئے اس کو وہ اپناتے تھے۔ ہاپو جی کہتے تھے کہ ہندی اتھوا ہندوستانی مگر مجھے اس کی بحث نہیں ہے وہ اردو کو ختم کرنے پر تلے ہیں تو مجھے کہا ہے۔ کوئی زبان کسی کے باپ کی نہیں ہے اور نہ میرے باپ کی ہے۔ زبان ایک سرمایہ ہوتی ہے قوموں کا اگر آپ قومی سرمایہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سولہ برس ہو گئے ہیں آزاد ہوئے اور جونہی ہم نے اپنا ودھان بنایا ہم نے یہ طے کیا کہ ہماری زبان ہندی ہو اور اس کو ہمیں اپنانا ہے لیکن ہندی کے لئے آپ نے کہا کیا؟ کہریوں

کہیں نقصان نہ پہونچائیں تو انہوں نے پنجابی کو لازمی قرار دے دیا اور پورہ نہیں کی اس بات کی کہ ہندی والے کیا کہتے ہیں۔ پرواہ نہیں کی اس بات کی کہ تمام مسلمان اردو میں ہیں اور کہا کہ اٹھا کر پھینک دو۔ میرا حکم یہی ہے کہ پنجابی چلے۔ اور پنجابی ہونہورستی بنائی۔ ہندی کے دیوانوں کو بھی بھکا دیا اور ان کی سنسکرت کی ہونہورستی بنائی۔ سنسکرت کی ہونہورستی کروکشیتر میں بنائی اور کہا کہ ہم سنسکرت کو ترقی دینگے وہ جانتا تھا کہ دیپس کی زبان تو ہندی رہے گی اس لئے ہندی سے جتنا ان کو دور کر سکتے ہو اتنا کرو۔ تو کرنے والے ضرور کرتے ہیں۔ میں شمالی جی کی تعریف کرتا ہوں۔ وہ جا رہے ہیں اس لئے ہمدردی بھی رکھتا ہوں۔ وہ یہ پل لائے اور اس لئے لائے کہ اچھا کام کرنے والی سنستھا کو سبھا کو مدد پہونچائی جائے جس نے دیانتداری کے ساتھ والانتیری اور دھاکارانہ طور پر سیوا کی ہے اس سے ہندی دیش کی زبان حقیقت میں بن گئی۔ اس میں کوئی بھی کچھ کہتا رہے دکھن والے بھائی خفا نہ ہوں ان کو اتر والے اس طرح ایکسوٹیم کر سکتے ہیں کہ یہاں ہندی میں ریکارڈ ہوں وہاں تھلگو میں بھی کر لئے جائیں۔

ایک کڑوں پر کتا رہتا ہے اور
رہتا چلتا ہے تاکہ یانی تھیک رفتار سے
جائے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ
مہاراج - آپ کی سرکار جو ہے - بالکل
اندھی ہے اور اس کو بہرہ پرائم منسٹر
کہہ لیتا ہے تو سب گالی دیتے ہیں
خفا ہوتے ہیں - میں کہوں کہتا ہوں
کہ اندھے کو دکھائی نہیں دیتا اور بہرہ
کو سبالی نہیں دیتا اس لئے کہ
انگریزی میں گڑی چل رہی ہے - نام
کے لئے بھارت کا ودھان کہتا ہے کہ
ہماری جو زبان ہے وہ ہندی ہے اس پر
باجھتی جی بھی خفا ہوتے ہیں اور
صوراہاری جی بھی برستے ہیں - تو میں
کہتا چاہتا ہوں کہ اب زیادہ دیر تک
بھول بھلیاں میں نہ رکھو -

تسلیوں میں الجھایا گیا ہوں -
کھلونے دیکھے بھلیا گیا ہوں -

کب تک ہندی کا نام گلے تک ہی رہے
گا اور دل کی گہرائیوں میں انگریزی
رہے گی -؟

تو اگر شریمالی جی جاتے جاتے
کچھ سودا کر چلے ہیں تو ہم ان کی
سہما کر رہے ہیں -

کھن : (بیہار) : کھن
جا رہے ہیں ۔

شری میڈائلی : آپ خفا کہوں
ہو رہے ہیں - میں نے تو صرف
منسٹری سے جانے کے لئے کہا ہے -

آپ سو برس کے ہوں بخدا آپ کو
سلامت رکھے آپ کو زندہ رکھے آپ
منسٹری ہی نہیں پردھان منسٹری
ہوں - ہم کو تو خوشی ہوگی -
میں کہہ رہا تھا وائس چیرمین
صاحب - کہ اگر واقعی ہندی سے پیار
ہے تو ایسی سہماؤں کی قدر کریں
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے من
میں جھانکی ماریں کہ ہم نے مولہ
برس میں ہندی کے لئے کیا کیا ہے -
ہر ایک دیہی کو جو یہ فخر ہوتا
ہے کہ اپنی ایک زبان ہے وہ کیا ہمارے
یہاں ہے ؟ جاپان کو اس کا غرور ہے -
برطانیہ کو غرور ہے اور فرانس والوں
کو غرور ہے - عربی والوں کو اپنی
عربی پر غرور ہے تو ہمیں کہوں نہیں
ہے ؟ تو میں پھر ادب سے کہوں گا کہ
ہندی کو صحیح معنوں میں اپنانے
کی کوشش کیجئے - بجائے اس کے
کہ یہ چھوٹے چھوٹے بھجڑے عرب
لوگ سینکڑوں سو کام کریں اور اس
کو بھانپیں - ان کے پاس ہے ہی کیا
لیکن آپ کے پاس تو عربوں روپیہ ہے -
آپ ایجوکیشن کے مالک ہوں اور
آپ کو ادھیکار تھا کہ ایسے دسہوں
تربیت قائم کرتے آپ یونیورسٹی قائم
کرتے آپ کالج دیتے - کہیں کے کہ
روپیہ کہاں سے آئے گا ؟ یہ سوال تھیک
ہے کہ روپیہ کہاں سے آئے گا لیکن
وائس چیرمین صاحب - آپ بھی
پہلے کہ ہم روپیہ ہائیڈروکروں پر

[شری عبدالغنی]

ضائع کرتے ہیں ہم دوپہہ تھی۔ اے۔ تھی۔
اے۔ دفعہ پر ضائع کرتے ہیں۔ میں
حیران ہو جاتا ہوں جب میں دیکھتا
ہوں کہ وزیروں میں ہزاروں دوپہہ
بھلی پر خرچ ہوتا ہے اور ہزاروں
کھلی پانی ضائع ہوتا ہے جب کہ عرب
پانی کو ترستے ہیں۔ تو اس میں
کٹوتی کریں۔ کوشش جو اتنا پیہہ
ہوا ہے اور آج جس کا بڑا چرچا رہا
اس کو ختم کریں۔ آپ اپنے اخراجات
کو کم کریں اور ہندی کو آگے
بڑھائیں۔

SHRI P. N. SAPRU: On a point of order_____

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): He is now concluding.

شری عبدالغنی : میں تو ختم کر
رہا ہوں ایک فقرہ ہی کہنا چاہتا ہوں
اور بس۔ واقعی اگر ہندی ہماری
زبان ہے تو پھر ہمیں اور کوئی پرواہ
نہیں ہونی چاہئے اور فوراً اس کے
لئے سب کچھ کرنا چاہئے۔ جیسا
کہ پنجاب میں پنجابی ریجسٹر کے
لئے ہوا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر
ہندی کو کھجئے اور ساؤتھ والوں کو
ساتھ رکھنے کے لئے تھلگو میں توجہ
ہندی کے ساتھ رکھئے۔ تھلگو تو
بلتالی سے زیادہ بڑی گئی ہے تو اسے
بہر ساتھ رکھئے تاکہ ساؤتھ والے بھی
خوش رہیں۔ تو میری عرض ہے

کہ پیہاوی ہندی کو لپٹایا جائے اور اردو
کو شان کے ساتھ دنگایا جائے۔ جیسا
آپ دنگاتے چلے جا رہے ہیں۔

شری مٹی انیس قدوائی : کوا کہا

آپ نے اردو کو دنگایا جائے۔!

†[श्री अब्दुल गनी : वाइस
चेयरमैन साहब, मैं जब मुन रहा था अकबर
अली खां साहब का मुराहरी के जबाब में
तो मुझे हंसी आई कि —

“उम्र तो सारी कटी इश्के बुतां में मोमिन
शाखरी वक्त में क्या खाक मुसलमां होंगे”

जिसको बर्तानवी देवियों ने लोरियां दी हों,
जिसके अतार्किक बर्तानियां के लोग हों,
जिसकी जिन्दगी का हर शोबा अंग्रेजी के
साथ नट्यो हो, वह सरकार का मालिक
हिन्दी को फैलाए इसी जोश के साथ जिस जोश
के साथ वह बच्चा, जिस बच्चे को भारतीय
मां ने लोरियां दी हों, भारतीय टीचरो ने
विद्या दी हो, इतना जोश पैदा हो जाय,
नामुमकिन है, वाइस चेयरमैन साहब। मैं यह
अर्ज क्यों करता हूं ? मुझे इस सदन में आये
तकरीबन १० महीने हुए हैं। दक्खिनी भाइयों
की मजबूरियों को मैं समझ सकता हूं। उनका
अंग्रेजी बोलना मेरी समझ में आ सकता है।
लेकिन यहां आप जानते हैं कि ७५ फी सदी
स्पीचेज तमाम की तमाम उसी जवान में
होती हैं जिस जुवान को इस मुल्क के सबसे
बड़े नेता प्यार करते हैं। इसमें दक्खिन ओर
उत्तर का कोई सवाल नहीं है। उत्तर वाले
ज्यादा शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं बमुकाबिला
दक्खिन वालों के। देश पिता महात्मा गांधी
चुंके दूरबीन बहुत थे इस लिये वह जानते
थे कि वह देश क्या जिसकी अपनी बोली
न हो। वह कोई देश देश है जिसकी कोई

t[] Hindi transliteration

अपनी बोली नहीं है और वह क्यों कर हो सकती है। जब तक तेलगू और मलयालम जानने वाले, कनाड़ी जानने वाले, तामिल जानने वाले, इससे आशना न हों। यह देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी तकरीबन १५ करोड़ या इससे भी जाईद आबादी है। जब तक वह हमारा साथ न दे हमारा देश कैसे एक है और हमारे देश की बोली कैसे अपनाई जा सकती है और क्यों कर हम भी मांग कर सकते हैं कि हमारा अपना देश है हमारी अपनी जुबान है। सोलह वर्ष में खरबहा रुपया का कर्जदार हमें बनाया हमें इस सरकार ने और हमारे महबूब नेता ने और हमारी बड़ी बड़ी योजनाएँ बनीं लेकिन इन सोलह वर्षों में हम हिन्दी को कितना अपना सके। और आज भी अकबर अली खां साहब को बड़ी दिक्कत आ रही थी। हालांकि वह अपनी जबान पर कादिर हैं। लेकिन क्विल इसके कि वहाँ अपनी बात खुल कर कहें कहते कहते फिर उनको अंग्रेजी याद आ जाती थी और अंग्रेजी में बोलने लगते थे। मैं यह अर्ज कर रहा हूँ कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब ये भूलभुलैया और इस तरह की शोभ-दाबाजी नहीं चलेगी। वैसे उनकी थैली में काफी हथियार हैं और वह कोई न कोई नया हथियार लाकर रख देते हैं और इसी तरह आज वह यह दक्खनी भारत प्रचार सभा को ले आये हैं। वह कहते हैं कि ४५ वर्ष में ६ हजार सेंटर खुले, ७ हजार उनके प्रचारक बने और ७० लाख बहिनों भाइयों ने हिन्दी सीखी, लेकिन मुझे तो यहां ऐसा साउथ का एक भी दिखाई नहीं देता है जो हिन्दी में अच्छी तकरीर तो क्या टूटी फूटी ही तकरीर करता हो। मुझे रंज यह है (Interruptions) आप यह क्यों कहते हैं। ये हमारे हो गये हैं, आपके हो गये हैं, और यह कहाँ रहे साउथ के। मेरी अर्ज सुनिये ताकि मैं अपनी बात कह पाऊँ।

मुझे रंज यह होता है कि वह कहते हैं कि अब्दुल गनी कम्युनिस्टों पर बहुत बरसता है और अच्छी तरह से बरसता है लेकिन

हमें लुत्फ नहीं आता क्योंकि हम समझ नहीं सकते। कोई न बोले यह तो समझ में आता है, लेकिन कोई समझे नहीं यह समझ में नहीं आ सकता। क्या इन ७० लाख में से एक भी भाई बहन ऐसा नहीं है जो यहां आया हो। इसके मायने यह है कि हिन्दी गरीबों ने सीखी। हिन्दी सीखी मद्रास में, हिन्दी सीखा मैसूर में...

एक माननीय सदस्य : यह खूब हिन्दी बोलते हैं।

श्री अब्दुल गनी : अरे अल्ला मांशा अल्ला तो हर जगह हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप में सब के सब ऐसे ही हैं।

श्री ए० एम० तारिक (जम्मू और काश्मीर) : अल्ला इधर है मांशा अल्ला उधर है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): Hon. Members have to lend their ears to Shri Ghani, not make comment!.

श्री अब्दुल गनी : मैं, वाइस चेयरमैन साहब, यह अर्ज कर रहा था कि अब्दिर कोई न कोई बीमारी है। अगर मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की निन्दा करता हूँ तो तारीफ भी करता हूँ चूंकि मैं समझता हूँ :

“खुज मा सफा दाग्र मा कदरा”

अच्छी चीज ले लो बुरी चीज छोड़ दो। जब उन्होंने देखा कि मास्टर तारा सिंह और अकाली पंजाब में इतहाद को कहीं नुकसान न पहुंचायें तो उन्होंने पंजाबी को लाजमी करार दे दिया और परवाह नहीं की इस बात की कि हिन्दी वाले क्या कहते हैं। परवाह नहीं की इस बात की कि तमाम की तमाम मिसलें उर्दू में हैं और कहा कि उठा कर फेंक दो। मेरा हुक्म यही है कि पंजाबी चले। और पंजाबी यूनिवर्सिटी बनाई। हिन्दी के दिवानों को भी बहका दिया और उनकी संस्कृत की यूनिवर्सिटी बनाई। संस्कृत की यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बनाई और कहा कि हम संस्कृत को तरक्की देंगे। वह जानता था कि देश की जबान तो हिन्दी रहेगी इस लिये

[श्री अब्दुल गनी]

हिन्दी से जितना उनको दूर कर सकते हो उतना करो। तो करने वाले जरूर करते हैं। मैं श्रीमाली जी की तारीफ करता हूँ। वह जा रहे हैं इसलिये हमदर्दी भी रखता हूँ। वह ये बिल लाये और इस लिये लाये कि अच्छा काम करने वाली संस्था को, सभा को मदद पहुंचाई जाये जिसने दयानतदारी के साथ, बालंटरिनी और रजाकाराना तौर पर सेवा की है इससे हिन्दी देश की जवान हकीकत में बन गई। इसमें कोई भी कुछ कहता रहे, दक्खिन वाले भाई खफा न हों उनको उत्तर वाले इस तरह एकोमोडेट कर सकते हैं कि जहां हिन्दी में रिकार्ड हों वहां तेलगू में भी कर लिये जायें। साउथ वालों से हिम्मत करके यह कहा जाये कि जब तक साउथ वाले पूरी तरह तैयार नहीं हैं, जब तक तेलगू में भी रेकार्ड रहें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह चाहते हैं कि किसी बात को तरक्की दी जाये तो वह उसको तरक्की दे कर रहते हैं। आप मुगल पीरियड ही नहीं इससे पहले के पीरियड को देखिये कि कितने बड़े बड़े शायर अमीर खुसरो जैसे हिन्दी के हुए हैं। अब्दुल रहीम खान-खाना हिन्दी के एक बेहतरीन शायर हुए हैं। मैं दसियों के नाम ले सकता हूँ लेकिन इस तारीख को दोहराने की जरूरत नहीं है। वह जानते थे कि हिन्दुस्तान की जवान हिन्दी है इस लिये इसको वह अपनाते थे। बापू जी कहते थे कि हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी मगर मुझे इसकी बहस नहीं है। वह उर्दू को खत्म करने पर तुले हैं तो मुझे क्या है। कोई जवान किसी के बाप की नहीं है और न मेरे बाप की है। जवान एक सर्माया होती है कौमों का अगर आप कौमी सर्माया को तबाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई दुःख नहीं है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि सोलह वर्ष हो गये हैं आजाद हुए और ज्योंही हमने अपना विधान बनाया हमने यह तय किया कि हमारी जवान हिन्दी हो और उसको हमें अपनाना है। लेकिन हिन्दी के

लिये आपने क्या किया? खरबों रुपया खर्च करके हमने हिन्दी के लिये कितना रास्ता निकाला और दक्खिनी भाइयों के लिये उनकी दिक्कत को दूर करने के लिये हमने क्या किया? हमने उनको क्या तसल्ली दी? यह एक सभा है जिसकी आप चर्चा करते हैं। इसके ६ हजार सेंटर हैं। सात हजार इसके प्रचारक हैं और ४५ वर्ष में ७० लाख बहन भाइयों को यह हिन्दी सिखा पाई है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर काम करने की यही नियत है तो मुझे कोई रंज नहीं होता है क्योंकि हमारी पंजाबी में यह कहते थे हैं मातापिता की जो गालियां हैं वह धी और खांड की नाली होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर गाली देते हैं तो मैं हंस्ता हूँ और कहता हूँ कि मां बाप का काम है गाली देना, लेकिन खरी बात कहने में कतराना नहीं चाहिये। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस सरकार की नियत बिल्कुल हिन्दी को फैलाने की नहीं है और यह चीफ मिनिस्टर पंजाब की ताकत भी नहीं रखते हैं कि आर्डर करो कि हिन्दी होगी। दक्खिन वाले भाई चिल्लाएँ तो उनसे कहो कि तेलगू में भी साथ में तरजुमा कर दिया जायगा ताकि तुमको कोई दिक्कत न हों लेकिन चलेगी हिन्दी ही। आज यहां की हालत तो यह है कि हमारे महबूब नेता भी हिन्दी में शायद तकरीर नहीं कर पायेंगे और अगर वह ऐसा करें तो मैं यह समझूंगा कि वह हाउस के अजबबत को समझते हैं और हिन्दी को अपनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ कहीं ऐसा न हो जैसा कि अकबर अली खां साहब ने कहा कि इस पर गवर्नमेंट का काबू हो और यह कहा जाय हम एक कमेटी बनायेंगे जो इसकी जांच करेगी। हम इसके मेम्बरान को टी० ए०, डी० ए० भी देंगे और वह इस पर निगाह भी रखेगी कि वह जरूरत समझे।

तो इस तरह जो रजाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं उनको एक धेला देकर कहते हो कि तुम्हारी मदद करते हैं। क्योंकि

अंग्रेजी के लिये जो हमने खर्च किया है और आज भी कर रहे हैं वह कितना है ? अपने पब्लिकेशन देखिये जितनी किताबें छपती हैं चाहे वह आंकड़ों की हों, इंडस्ट्री की हों या आपका बजट हो, उनको आप देखिये वह सब अंग्रेजी में छपते हैं। क्यों छपते हैं इसलिये कि अगर आप बुरा न मानें तो मैं कहूंगा कि हमारी सेन्ट्रल मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर हैं उनमें से ६० फीसदी को हिन्दी नहीं आती है और अगर आती है तो जान-बूझ कर उसका चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कोई बजह तो है कि यह सब लिटरेचर अंग्रेजी में छपता है। मुझको कहते हो कि अब्दुल गनी तुम हर वक्त क्रिटिक क्यों रहते हो? लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे एक कुएं पर कुत्ता रहता है और रहट चलता है ताकि पानी ठीक रफ्तार से जाय इसी तरह हम कहते हैं कि महाराज आपकी सरकार जो है यह बिल्कुल अंधी है और इसको बहुरा प्राइम मिनिस्टर खींचता है तो सब गाली देते हैं, खफा होते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि अन्धे को दिखाई नहीं देता और बहरे को सुनाई नहीं देता इस लिये कि अंग्रेजी में गाड़ी चल रही है। नाम के लिये भारत का विधान कहता है कि हमारी जवान है वह हिन्दी है। इस पर वाजपेयी जी भी खफा होते हैं और मुराहरि जी भी बरसते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ज्यादा देर तक भूल भुलैया में न रक्खो :—

“तमन्नाओं में उलझाया गया हूं
खिलौने देकर बहलाया गया हूं”

कब तक हिन्दी का नाम गले तक ही रहेगा और दिल की गहराई में अंग्रेजी रहेगी ?

तो अगर श्रीमाली जी जाते जाते कुछ सेवा कर चले हैं तो हम उनकी महिमा कर रहे हैं।

श्री शीलभद्र यादवी (बिहार) : कहां जा रहे हैं ?

श्री अब्दुल गनी : आप खफा क्यों हो रहे हैं। मैंने तो सिर्फ मिनिस्ट्री से जाने के लिये

कहा है। आप सौ बरस के हो। खुदा आपको सलामत रक्खे, आप को जिन्दा रक्खे आप मिनिस्टर ही नहीं प्रधान मंत्री बनें। हमको तो खुशी होगी। मैं कह रहा था, वाईस चेयरमैन साहब, कि अगर बाकई हिन्दी से प्यार है तो ऐसी सभाओं की कद्र करें लेकिन इसके साथ साथ अपने मन में झांकी मारें कि हमने सोलह वर्ष में हिन्दी के लिये क्या किया है। हर एक देश का जो यह फक होता है कि अपनी एक जुबान है वह क्या हमारे यहां है ? जापान को उसका गौरव है। बर्तानिया को गौरव है और फ्रांस वालों को गौरव है। अरबी वालों को अपनी अरबी पर गौरव है तो हमें क्यों नहीं है ? तो फिर मैं अदब से कहूंगा कि हिन्दी को सही मायनों में अपनाने की कोशिश कीजिये। बजाय इसके कि ये छोटे छोटे बिचारे गरीब लोग सेन्टरों में काम करें और उसको बढ़ायें। उनके पास है ही क्या लेकिन आपके पास तो अरबों रुपया है। आप एजुकेशन के मालिक हैं और आपको अधिकार था कि ऐसे दसियों ट्रस्ट कायम करते, आप यूनिवर्सिटी कायम करते, आप कालेज खोलते। कहेंगे कि रुपया कहां से आयेगा ? ये सवाल ठीक है कि रुपया कहां से आयेगा लेकिन, वाईस-चेयरमैन साहब, आप भी जानते हैं कि हम रुपया बिलिडिंगों पर जाया करते हैं, हम रुपया टी० ए०, डी० ए० वगैरह पर जाया करते हैं। मैं हैरान हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि वजीरों में हजारों रुपया बिजली पर खर्च होता है और हजारों गैलन पानी जाया होता है जब कि गरीब पानी को तरसते हैं। तो इसमें कटौती करें। करप्शन जो इतना फैला हुआ है और आज जिसका बड़ा चर्चा रहा उसको खत्म करें। आप अपनी अखराजात को कम करें और हिन्दी को आगे बढ़ायें।

SHRI P. N. SAPRU: On a point of order

....

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI M. GOVINDA REDDY): He is now concluding.

श्री धन्वन्तर गनी : मैं तो खन्म कर रहा हूँ। एक फ़िरका ही कह जाता हूँ और बस। बाकई अगर हिन्दी हमारी ज़बान है तो फिर हमें और कोई परवाह नहीं होनी चाहिये। और फ़ौरन इसके लिए सब कुछ करना चाहिये। जैसा कि पंजाब में पंजाबी रीजन्स के लिये हुआ। आप बिल्कुल बेफ़िक्र होकर हिन्दी को कीजिये और साउथ वालों को साथ रखने के लिये तैलुगु में तर्जुमा हिन्दी के साथ रखिये। तैलुगु तो बंगाली से ज्यादा बढ़ गई है तो इसे भी साथ रखिये ताकि साउथ वाले भी बुझ रहें। तो मेरी अज़ है कि प्यारी हिन्दी को अपनाया जाये और उर्दू को शान के साथ दफ़नाया जाये जैसा आप दफ़नाते चले जा रहे हैं।

श्रीमती अनोस किदवई : क्या कहा आपने उर्दू को दफ़नाया जाये ?]

THE MINISTER OF EDUCATION (DR. K. L. SHRIMALI): Sir, I am grateful to hon. Members for they have given almost unanimous support to the Bill, except my hon. friend, Prof. Ruthnaswamy. I shall, first of all, take up the points that he raised. I am rather surprised that he thought that this measure was an attempt to bureaucratised a voluntary organisation which has rendered great service in the cause of Hindi. And he was wondering why Government should step in now and he thought that there was some kinj of . . .

श्री गोडे मुराहरि : आप हिन्दी में बोलिये। आप हिन्दी का प्रचार करने वाले हैं तो कम से कम हिन्दी में तो बोलिये।

DR. K. L. SHRIMALI: Let me reply to Prof. Ruthnaswamy. Then I will continue my reply in Hindi, otherwise Prof. Ruthnaswamy will not

understand me. In fact, the hon. Member went to the extent of saying that this measure would paralyse the work of this institution. I am afraid, though he was speaking in independent India, the language almost reflected the thoughts of pre-independence period. This kind of language is one which could have been used before we attained our independence.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Madam, the reason why the Government have declared this institution as an institution of national importance is that Government have recognised the laudable work which this institution has done in the cause of the propagation of Hindi in the South. It is our belief that if Hindi has to develop in the southern States, it must be done mostly by voluntary organisations like the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. The Government certainly has to assist in every possible way their work, but the work will be much easier if it is done in the spirit in which the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha has done it. The answer to Prof. Ruthnaswamy is that the Government has stepped in and has decided to declare this institution as of national importance because this is an institution of national importance. We give great importance to the cause of Hindi and this is a work of great national importance. But the Government have taken care that they do not in any way impinge on the autonomy of this institution. There is no provision in this measure which in any way impinges on the autonomy of this institution.

SHRI M. RUTHNASWAMY: What about clause 7 sub-clause (6)?

DR. K. L. SHRIMALI: I will Presently deal with that provision. This institution in the past has been giving diplomas and degrees but they were not recognised by the Government.

II

is only very recently that some temporary recognition was given to them. The Sabha used to give its own degrees and diplomas. Now, with the declaration of this institution as an institution of national importance, those degrees and diplomas will get the same status as those of any other university and though this is not a university, with this declaration they get that status and they get recognition all over India and that makes all the difference for the graduates who will be coming out of this institution. He referred to clause 6. The only provision where some kind of control, if you would like to call it so, is envisaged, is here which gives power to the Central Government to review the work of the Sabha from time to time. These occasions will be very rare but it is necessary for an institution of national importance for its work to be reviewed. There must be some agency to review its work from time to time so that it may not falter in its aims and objectives, so that it may continue to work towards the goal which the society has set before it. This is the reason why this provision has been made. Otherwise, there is no interference. In fact, we have taken care in this measure.

Our friend, Mr. Santhanam, asked why there was this discrimination between the Hindi Sahitya Sammelan and the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha. He probably forgot that the affairs of the Hindi Sahitya Sammelan were in a mess for a long time and the Government had actually to take over the whole organisation and, therefore, detailed provisions had to be made in the Bill. Here, there is no question of interfering with the autonomy of the Sabha. The constitution of the Sabha, its rules and regulations, e.g., will all remain intact. We are not introducing any change because the Sabha has functioned admirably during the last several decades, for about nearly half a century. So, there is no need to interfere or to change the existing constitution of the Sabha. It is for this

reason, Madam, that you find some kind of difference between the provisions of the enactment relating to the Hindi Sahitya Sammelan and the present Bill.

Another doubt that was raised was with regard to finances. In the first place, I think we should congratulate the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, that it has kept its financial position very sound. The Sabha was never in deficit and it always received grants from the Government of India for certain specific projects. Whenever any schemes are submitted, grants will always be available. In fact, I might inform the House that during the last nine years, a sum of Rs. 2.53 lakhs was given to the Sabha and the Sabha is entitled to receive grants for certain specific purposes and these grants will be continued to be given.

SHRI AKBAR ALI KHAN: But very inadequate.

DR. K. L. SHRIMALI: Well, I can tell the House that whatever money is needed will be given, and in fact, this institution will have a greater claim on the funds of the Government of India after it becomes an institution of national importance. The Government cannot neglect the institution—it has not neglected it in the past also—and it will receive greater attention from the Government after the institution is declared as an institution of national importance. One Member said that it has less autonomy than the Sahitya Academy. There again there is some kind of misapprehension. The Sahitya Academy has been declared as an autonomous organisation by resolution of the Government of India. This has definitely a better status because it is through an Act of Parliament that this institution is being declared an institution of national importance and we are not in any way interfering in its working.

[Dr. K. L. Shrimali.]

I think these are the only points which were raised during the course of the debate. I am grateful to the hon. Members who (have made kind references to the humble work which I did in this House and in the Government.

Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to declare the institution known as the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, having at present its registered office at Madras, to be an institution of national importance and to provide for certain matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. K. L. SHRIMALI: Madam. I move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed,

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, on the happy occasion when the Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha Bill is about to be passed, I want to congratulate the Education Minister, Dr. Shrimali, for bringing this Bill before the House. On this particular occasion, I miss my colleague, M. Satya-narayanaji, who has been very much connected with this institution. It is due to his constant efforts that this institution today enjoys the prestige which it does in the country today. I want to congratulate Mr. Satyana-rayana for all the work he has done regarding Hindi Prachar in the South, especially at a time when it was most needed and when not so much import-

ance was given to this particular work. I again congratulate him on his achievement

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

4 P.M.

THE INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 1963

THE MINISTER OF SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS (SHRI HUMAYUN KABIR): Madam, I beg to move:

"That the Bill to amend the Institutes of Technology Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

This is a Bill to give further effect to the programme for the expansion and improvement of technical education in the country which this Government undertook some twelve years ago. When India became free, facilities for technical education were limited, both in quantity and quality, but in the last 14 or 15 years, considerable progress has been made. Today we can say, with some confidence, that the facilities and opportunities for technical education, in this country, compare not unfavourably with perhaps that of any advanced country in the world. In the last five years there has been quite a phenomenal expansion. Against an admission quota of something like 6,000 per year in the engineering colleges in 1958 the admission last year were about 18,000 and this year we have approved admissions for 20,000. In other words, the target which had been approved for the Third Plan and which was to be realised in 1966 we have practically realised this year.

There has been also considerable improvement in quality and one of the major measures in this improvement of quality of technical